कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/—रू.

भाद्रपद–अश्विन 2080, अक्टूबर 2023

औद्योगिक क्रांति 4.0

तैयारी उड़ने की

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन

Entrepreneurship Encouragement Conferences

सचित्र झलक

नयागढ़, उड़ीसा

मुजफ्फरपुर, बिहार

मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल

बागपत, उ.प्र.

राउरकेला, उड़ीसा

उत्तराखंड

लखनऊ, उ.प्र.

सहारनपुर, उ.प्र.

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

वर्ष–31, अंक–10
भाद्रपद–अश्विन 2080 अक्टूबर 2023

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

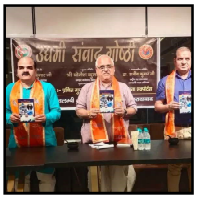

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–06

औद्योगिक क्रांति 4.0: तैयारी उड़ने की

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आर्थिकी
घरेलू बचत को लगी चपत ..... अनिल तिवारी

10 विश्लेषण
पेंशन सुधार व्युत्क्रम? एनपीएस देश के लिए लाभकारी ..... के.के श्रीवास्तव

12 महिला सशक्तिकरण
नारी शक्ति वंदन अधिनियम ..... डॉ. जया कक्कड

14 श्रद्धांजलि
सच्चे किसान विज्ञानी थे स्वामीनाथन ..... नरेंद्र मोदी

16 व्यक्तित्व
डॉ. एम.एस. स्वामीनाथनः भारतीय कृषि विकास के कर्त्ता–धर्त्ता ..... अनिल जवलेकर

19 बौद्धिक संपदा
बौद्धिक सम्पदा – हमारी राष्ट्रीय धरोहर ..... डॉ. धनपत राम अग्रवाल

22 एआई
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत की छलांग ..... डॉ. जया शर्मा

25 आर्थिक
भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बदलता परिदृश्य ..... विनोद जौहरी

28 पहल
भारत–पश्चिमी एशिया–यूरोप आर्थिक गलियारा ..... प्रहलाद सबनानी

30 खेती–बारी
कृषि से जुड़ी आबादी को मिले विकास का फायदा ..... देविन्दर शर्मा

32 ग्रामीण विकास
ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण खपत बढ़ाना जरूरी ..... डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

34 जल प्रबंधन
जल स्रोतों में बढ़ता रासायनिक जहर ..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

पाठकनामा

फैसले से फर्क पड़ेगा

सामाजिक समानता के लिए देश में दलितों और आदिवासियों को आजादी के बाद से आरक्षण मिलता रहा है। मंडल आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सामाजिक तौर पर पिछड़ों को भी आरक्षण मिलने लगा। महिला आरक्षण का कानून निश्चित रूप से लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए सबसे पहले यह ध्यान देने की जरूरत है कि दुनिया भर में अब तक के अनुभवों को देखते हुए यह सोचना गलत है कि आरक्षण ही पूरी तरह से बदलाव ला सकता है। भारत में आरक्षण को 100 तालों की एक चाबी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि कहीं से भी सही नहीं है। महिला आरक्षण को देखते हुए हमें पहले यह समझना होगा किआरक्षण जो आधी आबादी को मजबूती देता है विभिन्न वर्गों के परिवारों की स्थिति को नहीं बदलेगा बल्कि एक ही परिवार में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति को बदलेगा। यानी यह किसी जाति या धर्म के परिवारों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा बल्कि आरक्षण के लाभार्थी को बदल देगा।

दरअसल महिलाओं के पीछे होने का कारण घर के बाहर से कहीं ज्यादा घर के भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है। महिलाओं और पुरुषों के अधिकार आमतौर पर किसी भी आर्थिक सामाजिक स्तर पर खड़े घर में एक समान नहीं होते। परंपरागत विचारधारा कहती है कि महिलाओं का सबसे बड़ा काम बच्चों को जन्म देना और अपने परिवार की देखभाल करना है।लड़कियों को आर्थिक रूप से समर्थ और सक्षम बनाने पर परिवारों का लड़कों की अपेक्षा कम ध्यान दिया जाता है। भारत का संविधान महिलाओं को पुरुषों के बराबर मानता है और उन्हें पुरुषों की तरह अधिकार देता है लेकिन पुरुषों के लिए परिवार के स्तर पर यह स्वीकार करना अब भी सहज नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिला आरक्षण कानून महिलाओं की राजनीतिक छवि मजबूत करेगा लेकिन इस शक्ति को पूरी तरह से प्रयोग में लाने के लिए हमें पहले उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के बारे में ठोस नीति तैयार करनी होगी। संसद में उनकी अनुपातिक भागीदारी होनी ही चाहिए। केंद्र की सरकार ने वर्षों से अटके महिला आरक्षण विधेयक को पारित कर प्रशंसनीय काम किया है। आशा की जानी चाहिए कि सरकार के सकारात्मक कदम से महिलाओं के जीवन में समृद्धि आएगी।

वैदेही, छात्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

हमारे देश में अदीबों और संतों को, हुक्मरानों से ज्यादा इज्जत देने का रिवाज रहा है। रूहानियत पर ज़ोर देने की वजह से ही हमने पूरी इंसानियत को एक ही कुनबा माना है और 'वसुधैव कुटुंबकम्' का रास्ता सब को दिखाया है। कश्मीर की घाटी में रंग–बिरंगे फूल तो होते ही हैं, ये घाटी एक रूहानी गुलदस्ता भी है।

द्रोपदी मुर्मू, महामहिम, भारत

नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

डॉ स्वामीनाथन एक वैज्ञानिक थे, जो अच्छे और बुरे विज्ञान के बीच अंतर कर सकते थे। 1990 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत से, वैज्ञानिकों का एक समूह, जिन्हें जीएम वैज्ञानिक कहा जाता है, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ) की शुरूआत के लिए वकालत कर रहे थे। लेकिन स्वामीनाथन ने इन जीएम बीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जब तक कि यह बिना किसी संदेह के साबित नहीं हो गया कि ये बीज स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं हैं।

डॉ. अश्वनी महाजन
राष्ट्रीय सहसयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

रोकना होगा विदेशों में पढ़ाई का क्रेज़

पिछले कुछ वर्षों से भारत से विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर वहीं बसने की आकांक्षा का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। केन्द्र सरकार के अनुसार वर्ष 2016 और 2021 के बीच 26.44 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए गए। एसोसिएटेड चेम्बरर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) का अनुमान है कि वर्ष 2020 में 4.5 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने गए और उन्होंने 13.5 अरब डालर का खर्च किया। वर्ष 2022 में यह खर्च 24 अरब डालर यानि लगभग 2 लाख करोड़ रूपए रहा और रेडसियर स्टार्टेजी कन्स्लटेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक यह खर्च 80 अरब डालर यानि 7 लाख करोड़ रूपए तक पहुंच सकता है, जब अनुमानित 20 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए जाएंगे। केन्द्रीय मंत्री बी. मुरलीधरन ने 25 मार्च 2022 को लोकसभा को सूचित किया किया कि वर्तमान में 13 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ रहे हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के इस वक्तव्य के अनुसार वर्ष 2021 में 4.44 लाख विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने गए। एक अन्य सरकारी वक्तव्य के अनुसार नवंबर 30, 2022 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6.46 लाख थी, यानि 45 प्रतिशत की वृद्धि। यदि राज्यवार ब्यौरा देखें तो वर्ष 2021 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों में 12 प्रतिशत पंजाब से, 12 प्रतिशत से ही आंध्र प्रदेश से और 8 प्रतिशत गुजरात से थे। अगर युवाओं की कुल संख्या के अनुपात में देखा जाए तो पंजाब से प्रत्येक हजार में से 7 युवा, आंध्र प्रदेश में प्रति हजार में 4 युवा और गुजरात से प्रति हजार में से कम से कम 2 युवा विदेशों में हर साल पढ़ने जा रहे हैं। यदि वर्ष 2016 से 2022 के संचयी संख्या लें तो स्थिति काफी भयावह दिखाई देती है। पंजाब में यह संख्या 50 प्रति हजार, आंध्र प्रदेश में 30 प्रति हजार और गुजरात में 14 प्रति हजार है।

विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि कई कारणों से चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि ये युवा पढ़ाई और रोजगार की तलाश में विदेशों को पलायन कर रहे हैं और इस कारण देश के समक्ष युवा शक्ति के पलायन की समस्या बढ़ रही है, इससे देश के उद्योग–धंधों के लिए श्रम शक्ति की कमी की समस्या भी आ सकती है। इसके अलावा देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशों में जा रही है। ऐसा देखने में आ रहा है कि उनके माता–पिता अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर इन युवाओं को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। एक समय था कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के माध्यम से पंजाब के गांवों में बड़ी मात्रा में विदेशों से धन आता था। विदेशों में पढ़ाई के इस क्रेज़ के चलते यह प्रक्रिया उलट हो गई है, यानि अब विदेशों से धन आने के बजाय विदेशों को धन भेजा जा रहा है। ऐसे में जब वर्ष 2024 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 लाख और उनके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 80 अरब डालर पहुंच जाएगी, तो यह देश के लिए अत्यंत संकटकारी स्थिति का कारण बनेगा।

गौरतलब है कि युवाओं का शिक्षा के लिए विदेशों में पलायन, देश में शिक्षा सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं है। वास्तव में देश में पिछले दो–तीन दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। यदि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का प्रवेश देखें तो 1990–91 में जहां मात्र 49.2 लाख विद्याार्थियों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया, यह संख्या वर्ष 2020–21 में 414 लाख तक पहुंच गई। मोटेतौर पर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्याार्थियों की संख्या पिछले 30 वर्षों में 10 गुणा से भी ज्यादा हो चुकी है। यदि उच्च शिक्षा संस्थानों की बात की जाए तो देखते हैं कि वर्ष 2021 में देश में 1113 विश्वविद्यालय और समकक्ष संस्थान, 43796 महाविद्यालय और अन्य स्वतंत्र संस्थान 11296 थे। इसी वर्ष देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में 15.51 लाख शिक्षक कार्यरत थे।

जहां तक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए फीस का सवाल है, अधिकांश भारतीय शिक्षा संस्थानों में फीस विदेशी संस्थानों में फीस से कहीं कम है और जिन विदेशी संस्थानों में भारतीय युवा प्रवेश ले रहे हैं, उनमें से अधिकांश का स्तर अत्यंत नीचा है। चूंकि व्यक्तिगततौर पर विदेशों में जाने वाले युवा विद्यार्थी, पूर्व में विदेशों में जाने वाले भारतीयों की सफलता की गाथाओं से प्रभावित होकर विदेशों की ओर रूख कर रहे हैं। लेकिन वे यह समझ नहीं पा रहे कि आज कनाडा, आस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में, जहां वे शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ले रहे हैं, वे शिक्षा संस्थान स्वयं के आस्तित्व को बचाने हेतु भारतीय विद्यार्थियों को आसानी से अपनी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दे रहे हैं। यही नहीं भारतीय और अन्य देशों के अति इच्छुक विद्यार्थियों से भारी फीस ऐंठने हेतु शिक्षा की कई दुकानें भी खुल रही हैं, जिनका वास्तविक शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है। देश के अनभिज्ञ युवा जो विदेशों में शिक्षा के नाम पर ठगे जा रहे हैं, उन्हें इस समस्या से बचाने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी इस हेतु आगे आना होगा।

औद्योगिक क्रांति 4.0: तैयारी उड़ने की

23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान–3 की सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की न तो पहली उपलब्धि है, और न ही आखिरी। लेकिन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह कुशल और लागत प्रभावी है। उदाहरण के लिए, जबकि अन्य देश अपने चंद्रमा मिशनों पर भारी खर्च कर रहे हैं, चंद्रयान अभियान की लागत केवल 615 करोड़ रुपये ही है। पिछले कुछ समय में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है।

1993 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पहली बार ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) लांच किया। हालाँकि इसे भारत के रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सूर्य–समकालिक कक्षा में स्थापित करने के लिए लांच किया गया था, अब तक इसने 58 उड़ानें लांच की हैं, जिनमें से 55 पूरी तरह से सफल, एक आंशिक रूप से सफल और दो असफल रही हैं। प्रत्येक प्रक्षेपण की लागत उसकी वहन क्षमता के आधार पर 130 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये के बीच होती है। लेकिन हमारे देश और दूसरे देशों के सैटेलाइट लांच करके 'इसरो' को जो कमाई होती है, वो उससे कहीं ज्यादा है। उल्लेखनीय है कि पीएसएलवी की 37वीं उड़ान ने सबसे किफायती तरीके से एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कर इतिहास रचा था।

आम तौर पर औद्योगिक क्रांति 4.0 के आयामों के संबंध में भारत के विकास पथ के बारे में आम सहमति है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और रोबोटिक्स के उपयोग पर अभी कुछ हलकों में आपत्तियां हैं।

– डॉ. अश्वनी महाजन

सच तो यह है कि विश्व के अधिकांश विकसित देश भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की सहायता से ही अपने उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं, क्योंकि 'इसरो' जिस मितव्ययता से यह कार्य करने में सक्षम है, उसका मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता।

भारत की एक और तकनीकी उपलब्धि है, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है, वह है 'यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस' (यूपीआई)। गौरतलब है कि साल 2022 में देश में कुल 149.5 लाख करोड़ रुपये का ऑनलाइन लेनदेन हुआ। इनमें 126 लाख करोड़ रुपये के भुगतान सिर्फ यूपीआई के माध्यम से किये गये। पिछले साल देश में कुल मिलाकर लगभग 88 बिलियन ऑनलाइन लेनदेन दर्ज किए गए। अगस्त 2023 में ऑनलाइन लेनदेन 10 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है। 'प्राइस वॉटरहाउस कूपर' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2026–27 तक ऑनलाइन भुगतान की संख्या एक अरब प्रतिदिन तक पहुंच सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में होने वाले सभी ऑनलाइन लेनदेन में भारत का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक है।

अगर हम यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन लेनदेन की लागत कुशलता की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के व्यय बजट के तहत 2023–24 के लिए डिजिटल भुगतान उद्योग के लिए मुश्किल से 1500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। लेन–देन की मात्रा को देखते हुए, यह मुश्किल से उसका 0.0001 प्रतिशत है। यह संख्या हमारी स्वदेशी भुगतान प्रणाली की लागत प्रभावशीलता का

द्योतक है और यह प्रौद्योगिकी से ही संभव हुआ है।

पूरी दुनिया में यूपीआई का कोई सानी नहीं है। यूपीआई की शुरुआत से पहले, सभी भुगतानों के लिए ऑनलाइन लेनदेन क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से होता था। 2014 से पहले सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड दो अंतरराष्ट्रीय दिग्गज वीजा और मास्टरकार्ड के हुआ करते थे। इन कार्डों के माध्यम से लेनदेन एक बड़े कमीशन के अधीन थे, जो 1 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत के बीच था। अंतरराष्ट्रीय भुगतानकर्ताओं द्वारा यूपीआई के उपयोग के लिए यूपीआई में एक नई सुविधा जोड़ी गई है, जिसे यूपीआई इंटरनेशनल कहा जाता है। जिससे क्यूआर कोड की मदद से भारतीय बैंक खातों से विदेशी बैंकों में भुगतान किया जा सकेगा। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई और मॉरीशस में यूपीआई भुगतान पहले से ही संभव था और अब फ्रांस भी इस सूची में शामिल हो गया है।

औद्योगिक क्रांति 4.0 की तैयारी

हम औद्योगिक क्रांति 4.0 के युग में जी रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत पहली तीन औद्योगिक क्रांतियों में पिछड़ गया था। औद्योगिक क्रांति 1.0 में, उत्पादन को पानी और भाप से यंत्रीकृत किया गया था। विदेशी शासन के कारण हम इससे चूक गये। दूसरी औद्योगिक क्रांति, जिसने बिजली से चलने वाले मशीनीकरण का उपयोग शुरू किया, को सार्वजनिक क्षेत्र की प्रबलता और नवाचारों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होने के कारण भारत में ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके अन्य कारण थे देश में बिजली की कमी और अनुसंधान और विकास का अभाव। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स की तीसरी औद्योगिक क्रांति, हम इससे भी चूक गए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा था और चीन दुनिया में इन उत्पादों के लिए विनिर्माण का केंद्र बन रहा था, देश में नवाचार की कमी और सरकार के उदासीन रवैये ने देश में आईटी से संबंधित उत्पादों के उत्पादन में बाधा उत्पन्न की। हालाँकि, सॉफ्टवेयर कंपनियाँ देश में बड़े पैमाने पर विकसित हुईं, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर रही थीं।

आज औद्योगिक क्रांति 4.0 का समय है, जो तीव्र तकनीकी विकास से जुड़ा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, रोबोटिक्स, जीन एडिटिंग और तमाम तरह की स्मार्ट टेक्नोलॉजी, मशीन–टू–मशीन कम्युनिकेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। यह समझना होगा कि भले ही भारत पहली तीन औद्योगिक क्रांतियों में पिछड़ गया था, लेकिन चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने की क्षमता रखता है। हमारे युवा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिजिटल विशेषज्ञ, इंजीनियर, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सभी इस प्रयास में लगे हैं कि औद्योगिक क्रांति 4.0 में भारत दुनिया में पहली पंक्ति में खड़ा हो। भारत ने अंतरिक्ष और भुगतान बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण में अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया है। भारत के युवा स्टार्ट अप्स के माध्यम से चिकित्सा में रोबोटिक्स, ड्रोन, डिजिटलाइजेशन समेत कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य कर रहे हैं। नए विचारों वाले लगभग एक लाख स्टार्ट–अप विभिन्न प्रौद्योगिकियों के विकास और नवाचार में लगे हुए हैं। हमारा अब तक का अनुभव बताता है कि हम अपने नए विचारों, बुद्धिमत्ता और भारतीय युवाओं के कौशल से औद्योगिक क्रांति 4.0 में आसानी से उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं।

5जी आई जैसी तकनीकें दुनिया को आश्चर्य चकित कर रही हैं और स्थापित विदेशी तकनीकों को चुनौती दे रही हैं। आज देश में चल रहे इन प्रयासों को गति देने का समय है। इसके लिए देश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना जरूरी है। अब तक की उपलब्धियाँ उत्साहवर्धक हैं और वर्तमान प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है।

वास्तव में, हम औद्योगिक क्रांति 4.0 के लगभग सभी घटकों में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है व्यक्तिगत पहल को प्रोत्साहन और इसके लिए अनुकूल माहौल। यदि हम भारतीय इतिहास पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि भारत का स्वर्णिम काल वह था जब उत्पादन विकेंद्रीकृत था और माहौल व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए अनुकूल था। आज यह भारत के लिए सही समय है, जहां हमारे उद्यमी, स्टार्ट–अप, वैज्ञानिक, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भारत को औद्योगिक क्रांति 4.0 की ओर तेजी से ले जाने के लिए तैयार हैं।

हालाँकि, आम तौर पर औद्योगिक क्रांति 4.0 के आयामों के संबंध में भारत के विकास पथ के बारे में आम सहमति है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और रोबोटिक्स के उपयोग पर अभी कुछ हलकों में आपत्तियां हैं। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि भारत ने इन प्रौद्योगिकियों में क्षमताएं विकसित की हैं और वह इन क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सकता है। हम इन उत्पादों में वैश्विक सेवा प्रदाता और उत्पादक बन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि भारत को केवल सेवाओं पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विनिर्माण की बस में नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन विशाल संसाधनों और कौशल वाले देश में यह कोई बुद्धिमानी भरा सुझाव नहीं है। हम सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट हो सकते हैं। ❑❑

घरेलू बचत को लगी चपत

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि वर्ष 2022–23 में लोगों की शुद्ध घरेलू बचत 55 प्रतिशत गिरकर जीडीपी के 5.1 प्रतिशत पर आ गई, जबकि इन परिवारों पर कर्ज का बोझ दुगना से भी अधिक होकर 15.6 लाख करोड रुपए पहुंच गया। देश में घरेलू बचत पिछले 50 साल में सबसे कम होने और कर्ज का बोझ बेतहाशा बढ़ने का मुद्दा गरमाने के बाद सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए ऋषि चार्वाक के सूक्तियां की याद ताजा कर दी है। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर लिखा है कि लोगों में कर्ज लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है, ज्यादातर लोग घर और गाड़ियां, गहने, सहित अन्य विलासी उपभोक्ता सामान कर्ज लेकर खरीद रहे हैं, इससे घरेलू बचत कम हुई है। सरकार ने आलोचनाओं को नकारते हुए यह भी कहा है कि अब लोग दूसरे व्यापारिक उत्पादों में निवेश कर रहे हैं इसलिए वित्तीय संकट जैसी कोई बात नहीं है।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी घरेलू बचत, प्रति व्यक्ति आय और क्रय शक्ति की मौजूदा स्थिति के मानदंड पर भी परखी जाती है। नोटबंदी के बाद यह दूसरा मौका है जब गंभीरता से दर्ज किया गया कि भारत में घरेलू बचत लगातार गिरावट की ओर है। वित्त वर्ष 2022–23 में यह पिछले 5 दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय स्टेट बैंक की आख्या के मुताबिक परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत में करीब 55 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह गिरावट सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 5.1 प्रतिशत के पास पहुंचती है। मालूम होगी वित्त वर्ष 2020–21 में यह जीडीपी के 11.5 प्रतिशत पर थी जबकि महामारी से पहले वर्ष 2019–20 में यह आंकड़ा 7.6 प्रतिशत पर था। हालांकि वित्त मंत्रालय ने घरेलू बचत में गिरावट पर सफाई देते हुए कहा है कि लोग अब आवास और वाहन जैसी भौतिक संपत्तियों में अधिक निवेश कर रहे हैं जिसका सीधा असर घरेलू बचत पर पड़ रहा है। मंत्रालय ने यह भी भरोसा दिलाया है कि संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार ने तर्क दिया है कि पिछले 2 सालों में लोगों ने खुदरा ऋण का 55 प्रतिशत आवास शिक्षा और वाहन पर खर्च किया है।

अगर घरेलू बचत को प्रोत्साहन मिलता है तो आम लोगों को बहुत हद तक महंगाई और बेरोजगारी से दो दो हाथ करने में मदद मिलती है, वही देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होती है।

–अनिल तिवारी

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तथ्य बाहर आने के बाद से ही राजनीतिक दल तथा सोशल मीडिया में इसे लेकर विमर्श तेज हो गया है। बचत को लगी बड़ी चपत के मीम्स भी ट्रेंड हो रहे हैं।

विशुद्ध भारतीय जनमानस सनातन से बचत की प्रवृत्ति को प्राथमिकता देता रहा है। शायद इसी कारण अपेक्षाकृत कम में जीवन यापन कर लेने के सिद्धांत के उलट बात करने वालों चार्वाक,ओशो सरीखे लोगों को भी कभी गंभीरता से नहीं सुना गया। ऋषि चार्वाक ने कहा था, "यावज्जीवेत्सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत"। यानी मनुष्य जब तक रहे सुख से जिए, ऋण लेकर के भी घी पिए। भारतीय समाज में इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया और आज भी गाहे बगाहे इसका उपयोग व्यंग्य के तौर पर ही किया जाता है।

वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए अनेक ढांचागत और मौद्रिक सुधार किया ताकि संरचनात्मक सुधार के साथ ही पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई के क्षेत्र में सुधार किया जा सके। अनेक क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त हुई, किंतु आए दिन नई–नई नीतियों के आगमन से घरेलू बचत लगातार प्रभावित हुआ। नोटबंदी, नियंत्रण मुक्त ईंधन की कीमत, आवश्यक वस्तु अधिनियम जैसे कार्यक्रमों का असर घरेलू बचत पर पड़ा। इतिहास साक्षी है कि जब दुनिया वर्ष 2008 के महामंदी में झूल रही थी तब भारतअपने घरेलू बचत के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था का दम बनाए रखा था। नोटबंदी के कारण महिलाओं द्वारा की जाने वाली बचत भी फुस्स हो गई ।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किए गए शोध की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू बचत से निकासी का एक बड़ा हिस्सा भौतिक संपत्तियों में चला गया है और 2022–23 में इन पर

करोना महामारी के दौरान घरेलू ऋण एवं सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात बढ़ा था लेकिन अब उसमें भी गिरावट आई है। मार्च 2020 में यह अनुपात 40.7 प्रतिशत था लेकिन जून 2023 में यह घटकर 36.5 प्रतिशत पर आ गया है।

कर्ज भी 8.2 लाख करोड रुपए बढ़ गया है। करोना महामारी के दौरान घरेलू ऋण एवं सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात बढ़ा था लेकिन अब उसमें भी गिरावट आई है। मार्च 2020 में यह अनुपात 40.7 प्रतिशत था लेकिन जून 2023 में यह घटकर 36.5 प्रतिशत पर आ गया है।

गौरतलब है कि सामान्य सरकारी वित्त और गैर वित्तीय कंपनियों के लिए कोष जुटाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया घरेलू बचत ही होता है। राष्ट्रीय खातों में घरेलू क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों के अलावा खेती एवं गैर कृषि व्यवसाय जैसे सभी गैर सरकारी, गैर कॉर्पोरेट उद्यम, एकल स्वामित्व एवं भागीदारी जैसे प्रतिष्ठान और गैर लाभकारी संस्थान आते हैं। ऐसे में घरेलू बचत का गिरना चिंताजनक है, लेकिन यह अभी तथ्य निकाल कर आया है कि ब्याज दर कम होने के कारण लोग बैंकों में बचत रखने की बजाय अन्य लाभकारी उद्योगों में निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। करोना महामारी के बाद देनदारियां बढ़कर 8. 2 लाख करोड रुपए हो गई जो कुल वित्तीय बचत में हुई 6.7 लाख करोड रुपए की वृद्धि से अधिक है। हालांकि इस अवधि में परिवारों की संपत्ति के स्तर पर बीमा और भविष्य निधि एवं पेंशन कोष में लगभग चार लाख करोड रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक परिवार के स्तर पर वित्त वर्ष 2020–21 में 22.8 लाख करोड़ की शुद्ध वित्तीय परिसंपत्ति जोड़ी गई जबकि 2021–22 में लगभग 17 लाख करोड़ और वित्त वर्ष 2223 में 13.8 लाख करोड रुपए की वित्तीय संपत्तियां बढ़ी है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से भी वित्तीय संपत्तियां लगातार घट रही हैं। इस पर सरकार का कहना है कि आम लोगों का रुझान भौतिक संपत्तियों की ओर अधिक है।

सरकार चाहे जो तर्क दे पर घरेलू बचत का लगातार गिरना कोई अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। देश की कुल बचत में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाली घरेलू बचत का लगातार गिरना निम्न और मध्य वर्ग ही नहीं पूरी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। सरकार को मंदी के जोखिम से बचने के लिए राष्ट्रीय बचत दर को बेहतर कर घरेलू बचत को बढ़ावा देना ही चाहिए। आज देश में घरेलू बचत घटने से ऐसे लोगों का आर्थिक प्रबंधन भी चरमरा रहा है जो शादी विवाह, सामाजिक रीति रिवाज, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और त्योहार आदि पर खर्च के लिए अपनी छोटी बचतों पर ही निर्भर होते हैं। सरकार को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बचत योजनाओं पर दी जाने वाली ब्याज दरों में वृद्धि का एक सकारात्मक खाका तैयार करना चाहिए, ताकि लोग अधिक से अधिक बचत के लिए उत्साहित हों। अगर घरेलू बचत को प्रोत्साहन मिलता है तो आम लोगों को बहुत हद तक महंगाई और बेरोजगारी से दो दो हाथ करने में मदद मिलती है, वही देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होती है। ❑❑

पेंशन सुधार व्युत्क्रम?
एनपीएस देश के लिए लाभकारी

भारतीय रिजर्व बैंक के एक हालिया अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि यदि पूरे भारत में पुरानी पेंशन योजना (ऑपीएस) को वापस लाया जाता हैतो सरकारों पर संचयी राजकोषीय बोझ मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर किए जा रहे खर्च से साढे चार गुना ज्यादा होगा। यह सरकारी खजाने के साथ एक गंभीर समझौता होगा। स्मरण रहे की हाल के दिनों में गैर भाजपा शासित पांच राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने के फैसले की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने भी पुरानी योजना के बारे में पुनर्विचार का संकेत दिया है।

पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) के चलते सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा था इसलिए भारत पुरानी पेंशन प्रणाली को दोबारा अपनाने का जोखिम नहीं उठा सकता। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है इसलिए नई पेंशन योजना को कर्मचारियों के लिए और अधिक आकर्षक बनाना होगा।

– के.के. श्रीवास्तव

गैर भाजपा शासित राज्यों द्वारा उलटफेर करते हुए पुरानी पेंशन योजना की घोषणा के बाद केंद्र की सरकार ने नई पेंशन योजना को पर्याप्त आकर्षक बनाने के तरीकों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति को यह देखना है की राजकोष पर अधिक भार न डालते हुए नई पेंशन योजना को किस तरह और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। दुनिया भर के देश परिभाषित योगदान योजनाओं की ओर बढ़ रहे हैं ऐसे में भारत के पुरानी पेंशन योजना पर लौटने से भावी पीढ़ी के हितों से समझौता होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2022–23 में 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पेंशन में खर्च चार लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगा जबकि पिछले वर्ष यह 3.9 लाख करोड रुपए था। वर्ष 2050 तक भारत की आबादी 164 करोड़ होगी तब सरकार को ओपीएस पर और अधिक खर्च करने होंगे। वर्ष 2060 तक ओपीएस के तहत सरकारी खजाने पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक प्रतिशत का बोझ होगा। दरअसल ब्याज भुगतान वेतन और पेंशन भुगतान को प्रतिबद्ध व्यय माना जाता है क्योंकि इन मदों में हर महीने खर्च का होना निश्चित है। इन मदों में वित्त वर्ष 2021 तक औसतन 56 प्रतिशत व्यय राज्यों के राजस्व से किया जा रहा था, अब राज्यों के खर्चे आमदनी के हिसाब से बहुत अधिक बढ़ते जा रहे हैं। राज्यों का पेंशन देय उनके प्रतिबद्ध ब्याज का लगभग 38 प्रतिशत है।

भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में विशेष रूप से सीमित सामाजिक सुरक्षा उपायों के साथ सरकार को आर्थिक सुधारो को आगे बढ़ाने में कठिनाई होती है। कम लागत वाली वैसी योजनाएं जो दीर्घकालिक लाभ दे सकती हैं उनके लिए भी कठिनाइयाँ खड़ी होती हैं। हाल के बरसों में जीवन स्तर में सुधार तथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध होने के कारण हमारी औसत आयु में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2050 तक हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या 32 करोड़ से अधिक होगी। ऐसे में हमें सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे जैसी पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण में अधिक धनराशि की जरूरत होगी। यदि देश पुरानी पेंशन की ओर लौटेगा तो पेंशन मद इतना बढ़ जाएगा कि आधारभूत बुनियादी जरूरत के लिए सरकार के पास धनराशि ही नहीं होगी।

आज दुनिया के कई देश परिभाषित लाभ व्यवस्था से दूर परिभाषित योगदान पेंशन योजनाओं की ओर बढ़ रहे हैं। राजकोषीय बोझ कम करने के लिए अन्य तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं इनमें पेंशन लाभ कम करना, सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना और सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए योगदान दरें बढ़ाना भी शामिल है। भारत में पेंशन पर व्यय 1990 के दशक के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022–23 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.7 प्रतिशत पर लगभग तीन गुना बढ़ गया है। एसबीआई के चलते एक और राजकोषीय संतुलन बिगड़ता जा रहा है वहीं दूसरी ओर वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक परियोजनाओं में कंजूसी की जाती है।

पेंशन का भुगतान सरकार के वर्तमान राजस्व से किया जाता है। विशेष रूप से पेंशन देनदारी में वृद्धि की गति राजस्व वृद्धि की तुलना में अधिक तेज है। जाहिर तौर पर इसे लंबे समय तक कायम नहीं रखा जा सकता। यही कारण है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और जापान जैसे देश लाभार्थी पर अपने स्वयं के सेवानिवृत्ति सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए अधिक जिम्मेवारी डाल रहे हैं। इससे सेवानिवृत व्यक्ति को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की संपत्ति पर नियंत्रण भी अधिक मिलता है।

सरकारी नौकरी में पेंशन योजना कार्मिक और उसके परिवार के जीवन तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेंशन के बारे में कार्मिक का मानस होता है कि यह आय का स्थिर स्रोत प्रदान करती है। पुरानी पेंशन योजना में व्यक्ति को किसी तरह के निवेश का जोखिम नहीं होता है, उसे बाजार के उतार–चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। 30–40 साल तक नौकरी करने के बाद हर कार्मिक चाहता है कि अपने सूर्यास्त के वर्षों में वह एक स्थिर आय का हकदार हो और बचे–खुचे जीवन का आनंद ले सके। पुरानी पेंशन योजना से पूरे परिवार के हितों की गारंटी मिलती है। जैसे पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को आजीवन इसका लाभ दिया जाता है, पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। यह सुरक्षित पेंशन योजना है, इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी से किया जाता है। लेकिन यह भी तय है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत जिन लोगों को लाभ दिया जा रहा है वे देश की समस्त जनता के विकास संसाधनों पर ही आधारित है। रिजर्व बैंक का यह भी कहना है कि एनपीएस के तहत सेवानिवृत्ति कोष में राज्यों का वार्षिक योगदान 2039 तक सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 0.2 प्रतिशत होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ यदि राज्य पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनते हैं और एनपीएस को छोड़ देते हैं तो तत्काल योगदान शून्य हो जाएगा, जिससे भविष्य में पेंशन खाते पर व्यय अधिक महंगा साबित होगा।

देश में जब भी कोई चुनाव नजदीक आता है तो चुनावी राजनीति को आगे कर कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर सरकारों पर दबाव बढ़ाते हैं। कई बार सरकारें वास्तविक जोखिम को दरकिनार कर चुनाव के दबाव में उनकी मांगे मान लेती है। लेकिन सामान्य तौर पर भी राज्यों को राजनीतिक लाभ का विकल्प चुनने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसे सभी लाभों पर दीर्घकालिक ग्रहण लगने की संभावना अधिक है। आज यदि सभी राज्य ओपीएस को अपनाते हैं तो अतिरिक्त व्यय 2030 के दशक के मध्य तक एनपीएस के तहत होने वाली राशि के बराबर होगा और 2040 तक इससे अधिक हो जाएगा इसके बाद अतिरिक्त बोझ और तेजी से बढ़ेगा और 2060 के दशक की शुरुआत तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

बहरहाल पुरानी पेंशन बहाली की बढ़ती मांग के मद्देनजर सरकार एनपीएस में बदलाव की तैयारी कर रही है जिससे लोगों के पेंशन राशि में कुछ और वृद्धि हो सके। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की हार के कारण इस बात को और अधिक बल मिला है।

देश में कुल भारतीय कार्य बल के पांच प्रतिशत हिस्सा सरकारी कर्मचारियों का है, और उनकी हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। ऐसे में गिनती के कर्मचारियों के दबाव के आगे देश की मुकम्मल आबादी के विकास और बेहतरीन जीवन की प्रत्याशा के साथ समझौता करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। सरकार को आम मतदाताओं को यह शिक्षित करने की जरूरत है कि केवल सरकारी कर्मचारी ही देश में नहीं रहते हैं। ठीक है कि उन्हें पेंशन का लाभ मिलना चाहिए लेकिन कुल मिलाकर यह जन समर्थक फैसला नहीं हो सकता क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस तरह के लाभों से प्रायः वंचित है। ओपीएस का बोझ अगर सरकार पर ना पड़े तो उसी धनराशि से ऐसे लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की जा सकती हैं। भारत का 80 प्रतिशत से अधिक कार्य बल आज अनौपचारिक क्षेत्र में है। जिसे रोजगार का कोई लाभ नहीं मिलता और न ही वृद्धावस्था में पेंशन जैसी कोई सुरक्षा व्यवस्था ही मिल पाती है। ऐसे में सबका ध्यान रखते हुए यह तय किया जाना चाहिए कि देश पुरानी पेंशन व्यवस्था की ओर लौटने की बजाय एक अधिक स्वीकार प्रणाली विकसित करें जो भविष्य में सेवानिवृत्त लोगों के साथ–साथ अनौपचारिक क्षेत्र में भी काम करने वालों की पर्याप्त देखभाल कर सके। ❑❑

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के संसदीय इतिहास में सर्वसम्मति का एक अद्भुत सिद्ध विनायक क्षण है, जिसका श्रीगणेश नए संसद भवन से हुआ है। देश की लगभग आधी आबादी को विधायिका में 33 प्रतिशत हिस्सेदारी पर आम राय से मोहर लग गई। 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने वाला 128वां संशोधन विधायक तभी प्रभावी होगा जब परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसका मतलब यह की आरक्षण कम से कम 2019 के चुनाव तक लागू नहीं होगा। एक बार लागू होने के बाद यह 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, हालांकि संसद इसकी अवधि बढ़ा सकती है।

महिला आरक्षण की पृष्ठभूमि देखें तो इसके लंबे सफर में काफी अवरोध रहे हैं। देश में राजनीतिक समानता का विचार शाह बेगम और सरोजिनी नायडू ने 1931 में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया था। आजादी के बाद वर्ष 1974 में संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा भारत में महिलाओं की स्थिति के आकलन संबंधी समिति के रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया था। राजनीति की इकाइयों में महिलाओं की स्थिति के आकलन संबंधी रिपोर्ट के साथ ही आरक्षण के विचार का बीजारोपण किया। कई एक राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना शुरू कर दिया। फिर मारगेट अल्वा समिति ने 1988 में सिफारिश की कि निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए सीटें अवश्य आरक्षित की जाए। नरसिम्हा राव सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए वर्ष 1992 में संविधान में संशोधन किया। पहली बार देवगौड़ा सरकार ने यह प्रस्ताव रखा की लोकसभा और राज्य विधानसभा की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। बाद में गुजराल सरकार, वाजपेई सरकार और यूपीए सरकार ने इस विधेयक को पारित करने की कोशिश की, हालांकि कड़े विरोध के कारण विरोध पारित नहीं हो सका। सदन में अधिकांश पुरुष राज नेताओं ने शुरुआती दिनों से ही इसका विरोध किया है। यह सुझाव दिया गया था कि विधेयक केवल अधिक योग्य ग्रामीण गरीब महिलाओं की जगह शहरी शिक्षित महिलाओं को लाभान्वित करेगा, जिन्हें वास्तव में इस तरह के आरक्षण के माध्यम से सशक्तिकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में विशेष सत्र के दौरान यह विधेयक पारित किया गया है, इस विधेयक का दायरा व्यापक है।

अंततः महिला आरक्षण बिल जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का नाम दिया गया है संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से पास कर दिया गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम अब कानून का रूप ले लिया है, लेकिन यह देखना अभी बाकी है कि राजनीतिक दलों का ध्यान महिला सशक्तिकरण पर होता है अथवा इस विधेयक को आगे भी राजनीतिक उपकरण के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है।

– डॉ. जया कक्कड़

हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय एवं अवसर की समानता की बात कही गई है ताकि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए उचित उपाय किए जा सके। लेकिन आजादी के बाद से ही स्वार्थ पूर्ण तरीके से महिलाओं को लेकर राजनीतिक लामबंदी की जाती रही है। ऐसे में इस विधेयक का लाभ महिलाओं के भीतर वास्तविक सशक्तिकरण के जरिए ही मिल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि महिलाओं को राजनीति के साथ–साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त भागीदारी देकर उन्हें आगे बढ़ाया जाए अन्यथा यह विधेयक भी समय के साथ एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षण प्रावधानों की तरह ही केवल कोरम पूरा करने जैसा हो जाएगा। सर्वसम्मति से पारित इस विधेयक को अमली जामा पहनाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ ठोस दिशा में काम करना होगा नहीं तो यही संदेश जाएगा कि वैश्विक सूचकांकों के मोर्चे पर भारत की रैंकिंग को बेहतर दिखाने के लिए यह एक दिखावटी प्रयास किया गया है। इसके लिए जरूरी है कि महिला आरक्षण कानून का उपयोग वोट आकर्षित करने वाले कदम के रूप में कतई ना किया जाए। क्योंकि अधिनियम पारित करने के पीछे वास्तविक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण के माध्यम से कानून निर्माता कार्यपालिका और समाज बड़े पैमाने पर सक्षम वातावरण तैयार करें जिसमें महिलाएं शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य और पोषण तक अपनी पहुंच के माध्यम से बेहतर और अधिक पूर्ण जीवन प्राप्त कर सकें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत की आधी आबादी अपनी पूरी क्षमता का एहसास करेगी और भारत को एक समृद्ध देश बनाने में अपना योगदान देगी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाएं एकजुट होती हैं तो कठिन से कठिन कार्य आसान कर देती हैं। वर्ष 2013 में महिला सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बलात्कार और कार्यस्थल पर उत्पीड़न कानून को और अधिक कठोर बनना सुनिश्चित किया था।

यह विधेयक देश के विकास में बराबरी का संकल्प जैसा है। इस विधेयक के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। दशकों से फाइलों में दबे इस विधेयक के लागू होने से लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को पंख लगेंगे।

अभी देश में महिला विधायकों की संख्या कम है। वर्ष 2014 में महिला सांसदों की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत थी जो वर्ष 2019 में बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई है लेकिन यह 33 प्रतिशत से बहुत कम है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में और खराब स्थिति है। आश्चर्यजनक है कि मातृ सत्तात्मक समाज के रूप में प्रचलित पूर्वोत्तर और केरल में यह प्रतिशत शून्य से 9 प्रतिशत के बीच में है। आज लोकसभा में 15 प्रतिशत और राज्यसभा में 14 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हैं इसकी तुलना में दक्षिण अफ्रीका के निचले सदन में 45 प्रतिशत और चीन के एकल सदन में 27 प्रतिशत महिलाएं हैं।

योग्य भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत कई उन्नत देशों से भी आगे निकल चुका है, लेकिन यह पर्याप्त महिला मुक्ति में अभी तक तब्दील नहीं हुआ है। महिलाओं को राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की चुनौती अभी भी विकट बनी हुई है। महिला श्रम भागीदारी के मोर्चे पर भी भारत की स्थिति दयनीय है। वर्ष 2021 में प्राप्त एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 42 प्रतिशत महिलाओं के पास घर नहीं है वहीं 32 प्रतिशत महिलाओं के पास कोई जमीन नहीं है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत की महिलाओं को अपने जीवन काल में अधिक हिंसा का सामना भी करना पड़ता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के एक दस्तावेज में बताया गया है कि वर्ष 2022 में 30257 महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आए। पंचायत में भी महिलाओं की वास्तविक भागीदारी निराशाजनक है। प्रधान पति का चलन अब भी बदस्तूर जारी है। वैश्विक स्तर पर विश्व के विभिन्न देशों में महिला प्रतिनिधित्व की बात करें तो जिनेवा स्थित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक रवांडा पहले, क्यूबा दूसरे और बोलिविया तीसरे स्थान पर है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आज की उन्नत अर्थव्यवस्था में जहां या तो संसदीय कोटा अनिवार्य नहीं है या स्वैच्छिक प्रावधान है वहां लैंगिक समानता का रिकॉर्ड भारत की तुलना में बेहतर ही है।

यह स्थापित सत्य जैसा है कि जिन सरकारों में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है वहां भ्रष्टाचार कम होता है भारत में भी ऐसी महिलाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने अवसर मिलने पर राजनीति में न केवल पहचान बनाई बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति अर्जित की है। यह विधेयक देश के विकास में बराबरी का संकल्प जैसा है। इस विधेयक के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। दशकों से फाइलों में दबे इस विधेयक के लागू होने से लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को पंख लगेंगे। ❑❑

सच्चे किसान विज्ञानी थे स्वामीनाथनः प्रधानमंत्री

प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन अब हमारे बीच नहीं हैं। हमारे देश ने एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति को खोया है, जिन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। हमने एक ऐसे महान व्यक्ति को खोया है, जिनका भारत के लिए योगदान हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन भारत से प्रेम करते थे और चाहते थे कि हमारा देश और विशेषकर हमारे किसान समृद्धि के साथ जीवन यापन करें। वे अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली थे और किसी भी करियर का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन 1943 के बंगाल के अकाल से वे इतने द्रवित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि अगर कोई एक चीज, जिसे वे करना चाहेंगे, तो वो है – कृषि क्षेत्र का कायाकल्प।

बहुत छोटी उम्र में, वे डॉ. नॉर्मन बोरलॉग के संपर्क में आए और उनके काम को गहराई से समझा। 1950 के दशक में, अमेरिका ने उन्हें एक फैकल्टी के तौर पर जुड़ने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे भारत में रहकर देश के लिए काम करना चाहते थे।

आज हम सभी को दशकों पहले की उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बारे में विचार करना चाहिए, जिनका प्रो. स्वामीनाथन ने डटकर सामना किया और हमारे देश को आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के मार्ग पर आगे ले गए। आजादी के बाद पहले दो दशकों में, हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे और उनमें से एक थी– खाद्यान्न की कमी। 1960 के दशक की शुरुआत में, भारत अकाल से जूझ रहा था। इसी दौरान, प्रोफेसर स्वामीनाथन की दृढ़ प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता ने कृषि सेक्टर के एक नए युग की शुरुआत की।

कृषि और गेहूं प्रजनन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उनके अग्रणी कार्यों से गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऐसे प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर वाले राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया। इस शानदार उपलब्धि की वजह से से उन्हें "भारतीय हरित क्रांति के जनक" की उपाधि मिली, जो बिल्कुल सही भी है।

जैसे–जैसे हम एग्रीकल्चरल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे, डॉ. स्वामीनाथन का योगदान हमें निरंतर प्रेरित व मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। हमें उन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते रहना होगा, जो उन्हें बेहद प्रिय थे।

– नरेंद्र मोदी

हरित क्रांति में भारत की 'कर सकता हूं' की भावना झलकती है, यानी कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अगर हमारे सामने करोड़ों चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इनोवेशन की लौ जलाने वाले करोड़ों प्रतिभाशाली लोग भी हैं। हरित क्रांति शुरू होने के पांच दशक बाद, भारतीय कृषि पहले से अधिक आधुनिक और प्रगतिशील हो गई है। लेकिन, प्रोफेसर स्वामीनाथन द्वारा रखी गई नींव को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

प्रोफेसर स्वामीनाथन ने आलू की फसलों को प्रभावित करने वाले कीटों से निपटने की दिशा में भी प्रभावी अनुसंधान किया था। उनके शोध ने आलू की फसलों को ठंड के मौसम का सामना करने में भी सक्षम बनाया। आज, दुनिया सुपर फूड के रूप में मिलेट्स या श्रीअन्न के बारे में बात कर रही है, लेकिन प्रोफेसर स्वामीनाथन ने 1990 के दशक से ही मिलेट्स के बारे में चर्चा को प्रोत्साहित किया था।

प्रो. स्वामीनाथन के साथ मेरी व्यक्तिगत बातचीत का दायरा बहुत व्यापक था। इसकी शुरुआत 2001 में मेरे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद हुई। उन दिनों, गुजरात आज की तरह अपने कृषि सामर्थ्य के लिए नहीं जाना जाता था। हर कुछ साल पर पड़ने वाले सूखे, तबाही लाने वाले चक्रवात और भूकंप ने राज्य की विकास यात्रा

को बुरी तरह प्रभावित किया था।

उसी दौर में हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की पहल की थी। हमारी कोशिश थी कि हमारे किसानों को मिट्टी को बेहतर ढंग से समझने और समस्या आने पर उसका समाधान करने में मदद मिले।

इसी योजना के सिलसिले में मेरी मुलाकात प्रोफेसर स्वामीनाथन से हुई। उन्होंने इस योजना की सराहना की और इसके लिए अपने बहुमूल्य सुझाव भी साझा किये। उनका समर्थन उन लोगों को समझाने के लिए पर्याप्त था, जो इस योजना को लेकर संशय में थे। आखिरकार इस योजना ने गुजरात में कृषि क्षेत्र की सफलता का सूत्रपात कर दिया।

मेरे मुख्यमंत्री रहने के दौरान और उसके बाद जब मैंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब भी हमारी बातचीत चलती रही। मैं उनसे 2016 में इंटरनेशनल एग्रो–बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस में मिला और अगले वर्ष 2017 में, मैंने उनके द्वारा लिखित दो–भाग वाली पुस्तक श्रृंखला लॉन्च की।

'कुरल' ग्रंथ के मुताबिक किसान वो धुरी हैं, जिसके चारों तरफ पूरी दुनिया घूमती है। ये किसान ही हैं, जो सब का भरण–पोषण करते हैं। प्रो. स्वामीनाथन इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझते थे। बहुत से लोग उन्हें "कृषि वैज्ञानिक" कहते हैं, यानी कृषि के एक वैज्ञानिक, लेकिन, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि उनके व्यक्तित्व का विस्तार इससे कहीं ज्यादा था। वे एक सच्चे "किसान वैज्ञानिक" थे, यानी किसानों के वैज्ञानिक। उनके दिल में एक किसान बसता था। उनके कार्यों की सफलता उनकी अकादमिक उत्कृष्टता तक ही सीमित नहीं है; ये लैब के बाहर, खेतों और मैदानों में स्पष्ट रूप से दिखती है। उनके कार्य ने साइंटिफिक नॉलेज और उसके प्रैक्टिकल उपयोग के बीच के अंतर को कम कर दिया।

उन्होंने ह्यूमन एडवांसमेंट और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन पर जोर देते हुए हमेशा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वकालत की।

यहां मैं विशेष तौर पर ये भी कहूंगा कि प्रो. स्वामीनाथन ने छोटे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उन तक इनोवेशन का लाभ पहुंचाने पर बहुत जोर दिया। वे विशेष रूप से महिला किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति समर्पित थे।

प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के व्यक्तित्व का एक और पहलू भी है, जो बेहद उल्लेखनीय है। वो इनोवेशन और मेंटोरशिप को बहुत बढ़ावा देते थे। जब उन्हें 1987 में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला, तो उन्होंने इसकी पुरस्कार राशि का उपयोग एक गैर–लाभकारी रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना में किया। आज भी, यह फाउंडेशन विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कार्य कर रहा है। उन्होंने अनगिनत प्रतिभाओं को निखारा है और उनमें सीखने और इनोवेशन के प्रति जुनून पैदा किया है। तेजी से बदलती दुनिया में, उनका जीवन हमें ज्ञान, मार्गदर्शन और इनोवेशन की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है।

प्रोफेसर स्वामीनाथन एक संस्थान निर्माता भी थे। उन्हें कई ऐसे केन्द्रों की स्थापना का श्रेय जाता है, जहां आज वाइब्रेंट रिसर्च हो रही है। उन्होंने कुछ समय तक मनीला स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी अहम जिम्मेदारी निभाई थी। दक्षिण एशिया में इस संस्थान का रीजनल सेंटर 2018 में वाराणसी में खोला गया था।

मैं प्रो. स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देने के लिए फिर से 'कुरल' ग्रंथ को उद्धृत करूंगा। उसमें लिखा है, "यदि योजना बनाने वालों में दृढ़ता हो, तो वे वही परिणाम हासिल करेंगे, जो वे चाहते हैं।" प्रो. स्वामीनाथन एक ऐसे दिग्गज व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में ही ये तय कर लिया था कि वो कृषि को मजबूत करेंगे और किसानों की सेवा करेंगे। उन्होंने इस संकल्प को बेहद ही रचनात्मक तरीके से और जुनून के साथ निभाया।

जैसे–जैसे हम एग्रीकल्चरल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे, डॉ. स्वामीनाथन का योगदान हमें निरंतर प्रेरित व मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। हमें उन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते रहना होगा, जो उन्हें बेहद प्रिय थे। इन सिद्धातों में किसानों के हितों की वकालत करना, साइंटिफिक इनोवेशन के लाभ को कृषि विस्तार की जड़ों तक पहुंचना और आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, स्थिरता एवं समृद्धि को बढ़ावा देना शामिल है। मैं एक बार फिर प्रोफेसर स्वामीनाथन को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं।

स्रोत: *https://www.narendramodi.in/hi/prof-swaminathan-s-unyielding-commitment-and-foresight-ushered-a-new-era-of-agricultural-prosperity-prime-minister-narendra-modi-574789*

डॉ. एम.एस. स्वामीनाथनः
भारतीय कृषि विकास के कर्त्ता-धर्त्ता

पद्म विभूषित कृषि विशेषज्ञ डॉ स्वामीनाथन के निधन के साथ ही एक बड़े भारतीय कृषि युग का अंत हुआ है। भारतीय कृषि विकास में विशेष भूमिका निभाने वालों में डॉ एम. एस. स्वामीनाथन का नाम सबसे पहले आता है। भारत रत्न जैसे पुरस्कार–योग्य, जो गिने–चुने व्यक्ति होते है, उनमें डॉ स्वामीनाथन का नाम लिया जा सकता है। महत्त्वपूर्ण बात यही है कि उनका काम स्वतंत्रता के बाद के सबसे कठिन समय का है, जब भारत गरीबी और अनाज की कमी जैसी समस्याओं से जुझ रहा था। आज भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है और अन्य देशों की मदद करने की स्थिति में है। इसका पूर्ण श्रेय डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन जैसे राष्ट्र समर्पित कृषि वैज्ञानिकों को दिया जाता है, जिन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ा सकने वाले बीजों को खोजा, उनको किसानों तक पहुंचाया और भारतीय कृषि उत्पादन में क्रांति ला दी। 1964 से 1980 के वर्ष भारतीय कृषि विकास में महत्वपूर्ण थे और वह डॉ. स्वामीनाथन के नए प्रयोग और भारतीय हरित क्रांति की सफल यात्रा का काल था।

भारतीय कृषि की विकट अवस्था

स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कंगाल अवस्था में थी और भारत को अनाज आयात कर अपनी जनता का भरण–पोषण करना पड़ता था। अनाज के लिए अमरीका जैसे देशों के सामने लाचार हुआ भारत सभी को याद होगा। भारतीय कृषि सर्वदृष्टि से पिछड़ी हुई थी। ऐसे समय में कृषि की उपज बढ़ाना एक बड़ा कठिन काम था। तब के राजकीय तथा प्रशासकीय नेतृत्व की यह सबसे बड़ी समस्या थी, यह भी विदित है। यह भी सही है कि बाहर के देशों में नोबल पारितोषिक विजेता डॉ नॉर्मन बोरोलोग जैसे कृषि वैज्ञानिक फसल की नई उपजाऊ जातियाँ विकसित कर अनाज उत्पादन बढ़ाने में कामयाब हो रही थी, लेकिन भारत को अपनी कृषि अनुकूल संशोधन कर उपयोग करना मुश्किल काम था। भारत में कृषि संशोधन संस्थाएँ थी लेकिन वे कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे समय भारतीय कृषि पटल पर डॉ स्वामीनाथन का पदार्पण हुआ और भारतीय कृषि विकास को एक नई दिशा मिली। भारत को अनाज आयात से मुक्ति मिली और भारत अनाज में स्वयंपूर्ण

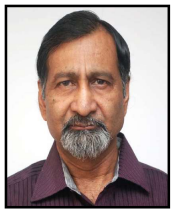

1964 से 1980 के वर्ष भारतीय कृषि विकास में महत्वपूर्ण थे और वह डॉ. स्वामीनाथन के नए प्रयोग और भारतीय हरित क्रांति की सफल यात्रा का काल था।
–अनिल जवलेकर

हुआ, आज अनाज निर्यात कर रहा है।

भारतीय हरित क्रांति के जनक

डॉ स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते है। कृषि संशोधन में शुरू से रुचि लेने वाले डॉ 1954 में भारत आए और उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था दिल्ली से अपना संशोधन कार्य शुरू किया और उसके बाद ही भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। वैसे यह हरित क्रांति इतनी आसान नहीं थी। भारतीय नेता और प्रशासकीय अधिकारियों को नए उपजाऊ बीजों के उपयोग के लिए मनाना जितना कठिन था, उससे भी कठिन काम भारतीय किसानों को नए बीजों के लिए मनाना था। इनमें से कोई भी आसानी से मानना वाला नहीं था। भारत की तकदीर अच्छी थी कि डॉ स्वामीनाथन की बात पर सहमति बनी और 1964 में उनको कुछ प्रयोग करने की अनुमति दी गई, जिसका उन्होंने अपनी बात सिद्ध करने में उपयोग किया। किसानों को मनाने के लिए डॉ स्वामीनाथन गांव–गांव घूमे। किसानों को समझाया और नए बीजों के बारे में विश्वास पैदा किया। 1968 तक किसानों ने अपने खेतों में चमत्कार किया और भारत में अनाज का उत्पादन बढ़ा। यही से भारतीय हरित क्रांति सफलता की ओर चल पड़ी और 1972 तक भारत में अच्छे नतीजे मिले और अनाज की आयात भी कम हुई। डॉ को भी सन्मान मिला।

डॉ स्वामीनाथन का व्यापक कार्य

डॉ स्वामीनाथन का कार्य व्यापक रहा है। कृषि संशोधन में तो उनकी रुचि थी ही, लेकिन उन्होंने भारतीय कृषि नीति को भी आकार दिया। कहा जाता है कि 1943 के बंगाल के सूखे से वे व्यथित हुए थे और कृषि संशोधन के लिए प्रेरित हुए। माना जाता है कि 1925 में जन्मे डॉ स्वामीनाथन 1949 में अपनी शिक्षा पूर्ण कर भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने के लिए निकले थे। लेकिन यूनेस्को की कृषि संशोधन विषयक शिष्यवृति उनको मिली और वे नेदरलंद पहुँच गए। वहाँ से इंग्लैंड व अमेरिका में भी संशोधन के लिए जाकर 1954 में भारत लौट आए और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था दिल्ली में अपना काम शुरू किया। जब तक भारत ने योजनाबद्ध विकास की राह पकड़ ली थी। लेकिन कृषि में बहुत कुछ नहीं हो रहा था। डॉ चाहते थे कि नोबल परितोषिक विजेता नॉर्मन बोरलॉग भारत आए और भारतीय कृषि अनुकूल कुछ सलाह दें। लेकिन कोई उसके लिए सहमत नहीं था। लेकिन डॉ डटे रहे और 1964 में डॉ स्वामीनाथन को कुछ प्रयोग करने की अनुमति दी गई, जिसमें वह कामयाब रहे। भारतीय किसानों ने भी उनकी बात मान ली और गेहूं के नए बीजों को स्वीकारा। 1968 तक हरित क्रांति ने सफलता हासिल की। भारत में पहली बार गत 4000 सालों का उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ा। 1972 तक भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ। निर्यात भी कम हुई और भारत का एक बड़ा मसला हल हुआ।

डॉ स्वामीनाथन का व्यक्तित्व नम्र और आकर्षक था

डॉ स्वामीनाथन वैसे तो पेशे से संशोधक और शिक्षक थे और शायद इसलिये वह अपने साथियों में और शिष्यों में अपनी जैसी जिज्ञासा निर्माण कर सके और भारत में एक कृषि वैज्ञानिकों की फौज खड़ी कर सके। उनके व्यक्तित्व की भूमिका इसमें मुख्य कही जा सकती है। वे ज्ञानी थे लेकिन नम्र थे। परेशानियों के बावजूद हंसमुख चेहरा उनकी पहचान था। वे सभी से मिलते और बाते करते। चाहे वह सीधा–साधा किसान क्यों न हो। यही कारण है कि कृषि नीति बनाते समय वे छोटे किसानों को लाभदायक ऐसे सुझाव दे सके। शायद इसलिए आज भी किसान और उनके नेता डॉ स्वामीनाथन आयोग को अमल में लाने की बाते करते है।

डॉ समीनाथन और आज की कृषि नीति

डॉक्टर न केवल हरित क्रांति के जनक थे, बल्कि एक ऐसे नेता भी थे जिन्होंने भारतीय कृषि नीति की आवश्यकता बताई। डॉ स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बने राष्ट्रीय किसान आयोग ने 2004–2006 के दौरान चार रिपोर्टें दी, जो आज की सभी कृषि नीतियों का आधार कही जा सकती है। आयोग ने कृषि उत्पादकता और किसान की आय में वृद्धि, कृषि भूमि को टिकाऊ बनाने, ऋण प्रणाली में सुधार, शुष्क भूमि में सुधार, स्पर्धात्मक कृषि बाजार प्रणाली, किसानों की बाजार से रक्षा और जलवायु परिवर्तन आदि जैसे कई पहलुओं पर विचार किया और सुझाव दिये। सभी को यह बात ज्ञात होगी कि डॉ ने संतुलित खाद–पानी–कीटकनाशक के उपयोग की बात की और एक सदाबहार हरित क्रांति की आशा सामने रखी। आज के कई कृषि योजनाओं में उनकी बात प्रतिबिम्बित दिखाई देता है।

भारत को ऐसे वैज्ञानिकों की जरूरत है।

निःसंदेह, डॉ. स्वामीनाथन जैसा व्यक्तित्व विरले ही जन्म लेता है। उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उचित सम्मान दिया गया है और कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। यहां तक कि भारतीय आम किसान भी उन्हें बहुत करीब पाता था और यही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। डॉक्टरों द्वारा स्थापित की हुई संस्था तथा उनके कृषि वैज्ञानिक शिष्य उनके विचारों को आगे ले जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन मौजूदा सरकार भी उनके ज्यादातर सुझावों पर अमल कर रही है, यह उल्लेखनीय है। इसे उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि माना जा सकता है। ❑❑

श्रद्धांजलि

विज्ञान, अनुसंधान, भारतीय कृषि और डॉ. स्वामीनाथन

बात 1960 के दशक की है, जब भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद ऐसी स्थिति में आ चुका था कि देश का खाद्यान्न उत्पादन हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण–पोषण हेतु पर्याप्त नहीं हो पा रहा था। हमारी विदेशों पर निर्भरता भी बढ़ गई थी और देश को अमरीका के समक्ष गेहूं की आपूर्ति करने के लिए हाथ भी फैलाने पड़े थे। ऐसे में डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने हमारे कृषि वैज्ञानिकों की अगुवाई करते हुए कुछ ऐसे नए हाइब्रीड बीजों का विकास किया, जिसकी मदद से हमारे खाद्यान्न उत्पादन, विशेषतौर पर गेहूं और चावल में बहुत तेजी से वृद्धि हुई और देश खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना। गौरतलब है कि 1960–61 में हमारा कुल खाद्यान्न उत्पादन मात्र 82 मिलियन टन ही था, लेकिन 1964–65 में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के उपयोग के बाद 1970–71 तक हमारा खाद्यान्न उत्पादन 108 मिलियन टन और 1978–79 तक 132 मिलियन टन और 1990–91 तक 176 मिलियन टन तक पहुंच गया। चूंकि खाद्यान्न उत्पादन में इतनी तेजी से वृद्धि हुई थी कि इस स्थिति को हरित क्रांति का नाम दिया गया। यह हरित क्रांति डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में हुई, इसलिए उन्हें भारत की इस हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। 98 वर्ष की आयु में 28 सितंबर 2023 को डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन का देहांत हुआ और सम्पूर्ण देश में उन्हें भावभीनी विदाई दी।

विज्ञान और गैर–विज्ञान की स्पष्ट समझ

आमतौर पर, यह देखा जाता है कि किसी भी कुल के वैज्ञानिक किसी भी नए आविष्कार या खोज के पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभाव के प्रति सजग नहीं रहते। लेकिन, डॉ. स्वामीनाथन एक ऐसे वैज्ञानिक थे, जो अच्छे और बुरे विज्ञान के बीच अंतर कर सकते थे। 1990 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत से, वैज्ञानिकों का एक समूह, जिन्हें जीएम वैज्ञानिक कहा जाता है, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ) की शुरूआत के लिए वकालत कर रहे थे। लेकिन स्वामीनाथन ने इन जीएम बीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जब तक कि यह बिना किसी संदेह के साबित नहीं होता कि ये बीज स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं हैं।

हाल ही में उन्होंने इन जीएम बीजों को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। डॉ स्वामीनाथन और उनके सह–लेखक द्वारा लिखित एक सहकर्मी–समीक्षा पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीई (आनुवंशिक रूप से परिवर्धित) बीटी कपास भारत में विफल हो गया है। यह एक टिकाऊ कृषि प्रौद्योगिकी के रूप में विफल रही है और इसलिए, कपास किसानों के लिए आजीविका सुरक्षा प्रदान करने में भी विफल रही है, जो मुख्य रूप से संसाधन–विपन्न, छोटे और सीमांत किसान हैं," लेख के अनुसार, "... एहतियाती सिद्धांत को ख़त्म कर दिया गया है और कोई विज्ञान–आधारित और कठोर जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के आधार पर जीएम फसलों का मूल्यांकन नहीं किया गया है।"

वह सिर्फ जीएम बीजों पर चिंता नहीं जता रहे थे, बल्कि अपना 'वैज्ञानिक धर्म' भी निभा रहे थे। हालाँकि, उन्हें जीएम कट्टरपंथियों के क्रोध का सामना करना पड़ा, जो अपनी प्रयोगशाला से परे कुछ भी नहीं देखते हैं। ऐसे ही एक जीएम कट्टरपंथी, चन्ना प्रकाश ने कहा, "यह दुखद है कि प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने हरित क्रांति के माध्यम से भारत में योगदान दिया है, बायोटेक का मूल्य अधिकांश लोगों से ज्यादा जानते हैं, अब जीएमओ विरोधी भीड़ में शामिल हो गए हैं, और वंदना शिवा की तरह लग रहे हैं! निश्चित नहीं कि क्या उनका वास्तव में यही मतलब है?"

एक बार भ्रम पैदा किया गया कि डॉ. स्वामीनाथन ने जीएमओ का समर्थन किया है। लेकिन डॉ. स्वामीनाथन ने इस श्रद्धांजलि के लेखक को एक्स (पूर्व ट्विटर) के माध्यम से एक व्यक्तिगत संदेश भेजा, इस आशय से कि वे अपनी 2004 की रिपोर्ट पर कायम हैं और इस प्रकार कहा – *"प्रिय अश्वनी, जीएम फसलों पर आपकी टिप्पणी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं वर्ष 2004 में कृषि मंत्रालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में अपनी सिफारिश नीचे दे रहा हूं। हमारी राष्ट्रीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी नीति का सार कृषक परिवारों की आर्थिक भलाई, राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता की स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि और स्वास्थ्य की जैव सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और कृषि वस्तुओं के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा होना चाहिए।* – ***एम.एस. स्वामीनाथन***

संयोग से, डॉ. स्वामीनाथन का यह बयान स्पष्ट करता है कि उनकी राय जीएम फसलों पर स्वदेशी जागरण मंच के रुख का समर्थन करती है, जहां एसजेएम ने उच्च उत्पादकता, पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों, कृषि और स्वास्थ्य की जैव सुरक्षा और पर साक्ष्य की कमी के मुद्दे उठाए हैं। साथ ही कृषि वस्तुओं में हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर खतरे मंडरा रहे हैं। एसजेएम दूरदर्शी दृष्टिकोण वाले इस महान वैज्ञानिक जो विज्ञान पर बयानबाजी से विचलित नहीं होता, को प्रणाम करता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

बौद्धिक सम्पदा - हमारी राष्ट्रीय धरोहर

बौद्धिक सम्पदा किसी भी राष्ट्र की धरोहर होती है, उसको पहचानना और उसकी सही गणना करना, उसकी सुरक्षा तथा उसका संवर्धन आज के तकनीकी और ज्ञान–विज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। हमारा वैदिक वांगमय, पौराणिक ग्रंथ तथा स्मृतियों में विज्ञान के विभिन्न विषयों पर बहुमूल्य वैज्ञानिक सूत्र दिये हुए हैं। विषय चाहे स्वास्थ्य–चिकित्सा सम्बंधित हो, चाहे खगोल–शास्त्र का हो, चाहे गणित या भौतिकी या रसायन शास्त्र का रहा हो, हमारे ऋषियों और मनीषियों ने जो अन्वेषण की बुनियाद हमें विरासत में दी है, वह अतुलनीय है। भारत आज से लगभग एक हज़ार साल पहले तक अगर विश्व गुरु था, तो वह हमारे ऋषि–मुनियों के अध्यवसाय और गवेषणा के आधार पर की गई खोज और मानव–हित के लिये की गई साधना का ही प्रतिफल था, जो गुरु–शिष्य परम्परा के आधार पर स्मरण–शक्ति द्वारा सारस्वत धारा की भाँति हमारी धरा पर प्रवाहित होता रहा है।

बौद्धिक संपदा

- बौद्धिक संपदा विचार, आविष्कार, और रचनात्मकता का नतीजा होता है, और इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और डिज़ाइन आदि शामिल होते हैं।
- यह नए और विशिष्ट आविष्कारों, कला और साहित्यिक रचनाओं का संरक्षण और स्वामित्व को संघटित करता है और उन्हें समाज में साझा करने का हक प्रदान करता है।
- इसका महत्व नए विचारों और नवाचारों को प्रोत्साहित करता है और वैज्ञानिक, आर्टिस्ट, और लेखकों को उनके क्रिएटिव योगदान के लिए सम्मान और संरक्षण प्रदान करता है।

प्राचीन भारत में विज्ञान की एक समृद्ध और विविध परंपरा थी जिसका वर्तमान अवधि के दौरान भी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा की गई कई खोजों और नवाचारों का दुनिया भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा।

भारतीय गणितज्ञों ने बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार किया, जो अब पूरी दुनिया में उपयोग किए जाते हैं।

– डॉ. धनपत राम अग्रवाल

भारतीय गणितज्ञों ने बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार किया, जो अब पूरी दुनिया में उपयोग किए जाते हैं। भारतीय खगोलविद पृथ्वी की परिधि और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की सटीक गणना करने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने परिष्कृत खगोलीय मॉडल भी विकसित किए जो ग्रहों और तारों की गतिविधियों की भविष्यवाणी कर सकते थे। भारतीय चिकित्सकों ने आयुर्वेद प्रणाली विकसित की, जो आज भी व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। आयुर्वेद मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, और यह रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए प्राकृतिक उपचार के उपयोग पर जोर देता है। भारतीय रसायनज्ञों ने विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं विकसित कीं, जिनमें आसवन, क्रिस्टलीकरण और उच्च बनाने की क्रिया शामिल है। उन्होंने गनपाउडर और अन्य आतिशबाजी रचनाओं का भी आविष्कार किया। भारतीय भौतिकविदों ने गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश और ध्वनि की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पदार्थ की परमाणु संरचना के बारे में भी सिद्धांत विकसित किए।

इन विशिष्ट उदाहरणों के अलावा, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने अन्य वैज्ञानिक विषयों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि धातु विज्ञान, कृषि और इंजीनियरिंग।

प्राचीन भारतीय विज्ञान का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। सदियों पहले भारतीय

वैज्ञानिकों द्वारा की गई कई खोजों और नवाचारों का उपयोग आज भी चिकित्सा, खगोल विज्ञान और गणित जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक परंपरा अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोणों का एक मूल्यवान स्रोत है जो आज दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने में हमारी मदद कर सकता है।

प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई आविष्कार हुए थे। इस क्षेत्र के सबसे उल्लेखनीय व्यक्तियों में से एक सुश्रुत हैं, जिन्हें भारतीय शल्य चिकित्सा का पिता माना जाता है। सुश्रुत छठी शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे और उन्होंने सुश्रुत संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा था, जो शल्य चिकित्सा पर दुनिया में सबसे प्रारंभिक और व्यापक कार्यों में से एक है।

सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का वर्णन किया गया है, जिसमें मोतियाबिंद सर्जरी, राइनोप्लास्टी और सिजेरियन सेक्शन शामिल हैं। सुश्रुत ने विभिन्न प्रकार के शल्य चिकित्सा उपकरण भी विकसित किए, जिनमें स्केलपेल, संदंश और कैटरिंग चाकू शामिल हैं।

मोतियाबिंद सर्जरीः सुश्रुत ने मोतियाबिंद सर्जरी के लिए एक तकनीक विकसित की जो उस समय ज्ञात किसी भी अन्य तकनीक से अधिक उन्नत थी। उन्होंने मोतियाबिंद को ढीला करने के लिए एक सुई का इस्तेमाल किया और फिर उसे आंख से बाहर धकेल दिया।

राइनोप्लास्टीः सुश्रुत राइनोप्लास्टी या नाक की सर्जरी के क्षेत्र में भी अग्रणी थे। उन्होंने क्षतिग्रस्त या खोई हुई नाक का पुनर्निर्माण करने के लिए एक तकनीक विकसित की।

चोंच और तालु की सर्जरीः सुश्रुत चोंच और तालु की सर्जरी करने वाले पहले सर्जनों में से एक थे।

इन विशिष्ट उदाहरणों के अलावा,

प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई आविष्कार हुए थे। इस क्षेत्र के सबसे उल्लेखनीय व्यक्तियों में से एक सुश्रुत हैं, जिन्हें भारतीय शल्य चिकित्सा का पिता माना जाता है। सुश्रुत छठी शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे और उन्होंने सुश्रुत संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा था, जो शल्य चिकित्सा पर दुनिया में सबसे प्रारंभिक और व्यापक कार्यों में से एक है।

प्राचीन भारतीय सर्जनों ने घाव की देखभाल, एनेस्थीसिया और दर्द प्रबंधन जैसी अन्य शल्य चिकित्सा तकनीकों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके काम का दुनिया भर में सर्जरी के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनकी विरासत आज भी सृजनों को प्रेरित करती है।

भारत का प्राचीन बौद्धिक धरोहर विशेषकर वैज्ञानिक अनुसंधानों के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध और महत्वपूर्ण था। यहां कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन वैज्ञानिक अनुसंधानों की जानकारी है। आर्यभट्ट के गणना शास्त्र, सुष्रुता के चिकित्सा शास्त्र, ब्रह्मगुप्त की गणित, चाणक्य की अर्थशास्त्र, भारतीय खगोलशास्त्र, वराहमिहिर की ज्योतिष शास्त्र व सूर्य सिद्धांत आदि से संबंधित ज्ञान के आधार पर ही दुनिया नये–नये आविष्कार कर रही है।

ये प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान और धार्मिक ग्रंथ भारतीय बौद्धिक सम्पदा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और आज भी उनका महत्व बना हुआ है।

महर्षि कणाद, जिन्हें कणाद के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय ऋषि, वैज्ञानिक और दार्शनिक थे, जो ईसा पूर्व छठी या सातवीं शताब्दी में रहते थे। उन्हें पदार्थ के अपने परमाणु सिद्धांत के लिए जाना जाता है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक वैशेषिक सूत्र में किया है। कणाद का परमाणु सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि सभी पदार्थ छोटे, अविभाज्य कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है।

इसी तरह आधुनिक वैज्ञानिकों में भी विश्व विख्यात कई नाम हैं, जिनमें से कुछ को तो नोबल पुरस्कार से भी नवाज़ा गया है। इनमें जगदीश चंद्र बसु, सत्येन्द्रनाथ बोस, चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम, डॉ. विक्रांत सराभाई व डॉ. होमी भाभा आदि प्रमुख हैं।

भारत की बौद्धिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए शिक्षा और प्रशासनिक समर्थन, विशेषज्ञता केंद्र, रिकॉर्डिंग और डिजिटाइजेशन, आधारिक जानकारी का प्रशिक्षण, पुस्तकालय और संग्रहण केंद्र, कला और साहित्य महोत्सव, सांस्कृतिक प्रदर्शनी, बौद्धिक सम्पदा के महत्व का प्रचार, महत्वपूर्ण स्थलों की संरक्षण, संविधानिक संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि कुछ महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

इन कदमों का पालन करके, भारत अपनी बौद्धिक सम्पदा को संरक्षित रख सकता है और इसे आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा कर सकता है, जिससे यह महत्वपूर्ण धरोहर हमेशा के लिए बनी रहे।

बौद्धिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए कई चुनौतियाँ हैं। जैसे संरक्षण की कमी, विलीनता और बर्बादी, फंडिंग की कमी, मानसिकता और जागरूकता, तस्वीरचित्रकृति और गुजरने की चुनौतियाँ, तस्वीरचित्रकृति और गुजरने की कला के सुरक्षा के लिए विशेषज्ञता की कमी, वस्तुओं की विस्तार व्यापकता, प्राचीन संरचनाओं की देखभाल, डिजिटल संरक्षण से बौद्धिक संपदा को आगामी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए।

भारत के लोक गीत, लोक संगीत,

और लोक नृत्य उसकी बौद्धिक सम्पदा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके संरक्षण और संवर्धन का काम भी किया जाना चाहिए–

रिकॉर्डिंग और डिजिटाइजेशनः लोक गीत, संगीत, और नृत्य को ऑडियो और वीडियो रूप में रिकॉर्ड करना और डिजिटल फॉर्मेट में सहेजना महत्वपूर्ण है ताकि वे सुरक्षित रह सकें और आगामी पीढ़ियों को सुनाए जा सकें।

संरक्षण और नृत्य संस्कृतियों के स्थलः लोक नृत्य और संगीत के प्रमुख स्थलों की संरक्षण की आवश्यकता होती है ताकि वे कला और सांस्कृतिक विरासत के रूप में बरकरार रहें।

शिक्षा और प्रशिक्षणः लोक गीत, संगीत, और नृत्य के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समर्थन देना चाहिए ताकि युवा पीढ़ियों को इनकी रक्षा और अधिग्रहण के लिए उनकी मूल शिक्षा मिल सके।

सामुदायिक सहयोगः स्थानीय समुदायों को लोक गीत, संगीत, और नृत्य को संरक्षित रखने के लिए सहयोग करना चाहिए, जैसे कि संगीत और नृत्य महोत्सवों का आयोजन करना।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः भारत को अन्य देशों के साथ लोक संगीत और नृत्य के क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए ताकि यह सांस्कृतिक विरासत को विश्व में प्रस्तुत कर सके।

स्वयंसेवक समूहों का समर्थनः लोक संगीत और नृत्य के प्रेमिकों और स्वयंसेवक समूहों को समर्थन और प्रोत्साहित करना चाहिए, जो इनके संरक्षण और प्रचार के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं।

मानव संसाधन विकासः लोक संगीत, गीत, और नृत्य के क्षेत्र में स्थानीय कलाकारों और शिक्षकों को समर्थन देना चाहिए ताकि वे योग्य रूप से प्रशिक्षित हो सकें और यह कला और संस्कृति को सजीव रूप से बनाए रख सकें।

रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशनः लोक संगीत, लोक गीत, और लोक नृत्य के प्राचीन और प्रमुख रूपों की गहरी अध्ययन और डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए ताकि इसके विभिन्न प्रारंभिक रूपों का निरूपक संरक्षण किया जा सके।

प्रसारण और जागरूकताः लोक संगीत, लोक गीत, और नृत्य को अधिक लोगों के बीच पहुंचाने के लिए इनका प्रसारण करना और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है, ताकि लोग इसके महत्व को समझें और समर्थन दें।

कला और संस्कृति महोत्सवः लोक संगीत, लोक गीत, और नृत्य को प्रमोट करने के लिए सामूहिक कला और संस्कृ ति महोत्सवों का आयोजन करना चाहिए, जिससे यह कला और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बने।

संरक्षण के लिए नीतियाँः सरकारों को लोक संगीत, गीत, और नृत्य के संरक्षण के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए और उन्हें पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिये।

मेरी जानकारी के अनुसार अमेरिका और योरोप की लगभग एक तिहाई आय का स्रोत बौद्धिक सम्पदा है। बौद्धिक सम्पदा आर्थिक और विकासीय अस्तित्व के रूप में महत्वपूर्ण है, और यह एक राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करती है। इसका अनुपात अलग–अलग देशों और क्षेत्रों में भिन्न हो सकता है, लेकिन यह बिना संदिग्धि के महत्वपूर्ण है।

बौद्धिक सम्पदा की चोरी और कापी, खासकर भारत में आयुर्वेद, जड़ी बूटी, और ज्ञान के द्वारा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह निम्नलिखित तरीकों से हो सकती है –

- *बाहरी लोगों द्वारा पैटेंट और पूरबाधित संपदा की अवैध उपयोगः* कुछ बाहरी व्यक्तियों या कंपनियों ने भारतीय आयुर्वेदिक नुस्खों को बिना अनुमति के प्रयोग किया है, और इससे उनका आर्थिक लाभ होता है।
- *प्रतिबंधित वनस्पतियों की अवैध व्यापारः* जड़ी बूटियों और प्रतिबंधित वनस्पतियों के अवैध कटाई और व्यापार के केस हैं, जिसमें लोग वनस्पतियों को नियमों के खिलाफ अवैध रूप से प्राप्त करते हैं।
- *बाहरी विज्ञानिकों के अद्वितीय ज्ञान का अवैध अपनानाः* बाहरी विज्ञानिक अद्वितीय ज्ञान को अपना कर और उसे बिना योगदान के अपने नाम से प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं।
- *कॉपीराइट उल्लंघनः* कुछ लोग कॉपीराइट की उल्लंघन करके अनौपचारिक रूप से आयुर्वेदिक पुस्तकें और ज्ञान को अपने नाम से प्रकाशित करते हैं।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत सरकार और अन्य संगठनों ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि पेटेंट की सुरक्षा, नियमों का पालन, और संपदा के उपयोग की जांच करने के उपाय।

इस समस्या को रोकने के कुछ उपाय हो सकते हैंः

- *कड़ी कानूनी कार्रवाईः* अवैध उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
- *संविदानिक संरक्षणः* आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियों के लिए प्राचीन ज्ञान की संरक्षण के लिए संविदानिक उपाय अधिक कड़ी होने चाहिए।
- *ज्ञान की प्रसारणः* विशेषज्ञों के साथ काम करके ज्ञान को साझा करने और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। सामाजिक संज्ञानः सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रयास किए जा सकते हैं ताकि लोग इस चुनौती को समझें और बचाव के उपायों के प्रति अधिक सहयोगी हों। ❑❑

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत की छलांग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इण्टेलिजेन्स के प्रसार के साथ भारत एक नवीन आर्थिक क्रान्ति का सूत्रपात करने जा रहा है। भारत अपनी विशाल तकनीकी प्रतिभा (टेलेण्ट पूल) के बल पर इस क्षेत्र में विश्व की अग्रणी शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमता अर्थात आर्टिफिशियल इण्टेलिजेन्स या ए.आई. का 2030 तक विश्व की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष 300 खरब डालर अर्थात 30 ट्रिलियन डालर से अधिक का होगा। इसमें भारत का विशेष ध्यान रखना होगा। भविष्य में ए.आई. में अग्रणी वे देश ही विश्व अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बना सकेंगे जो ए.आई. में आगे रहेंगे।

पाँच प्रमुख शक्तियों में भारत

विगत पांच वर्षों में भारत ने कृत्रिम बुद्धिमता में अच्छी प्रगति की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई में अनुसन्धान, स्टार्टअप्स एवं निवेश की दृष्टि से भारत ने आज विश्व के प्रमुख पाँच राष्ट्रों मेंपांचवा स्थान बना लिया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वार्षिक एआई सर्वेक्षण में भारत विश्व के पाँच शीर्ष देशों में है। इस वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले वर्ष 2022 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित उत्पादों एवं सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त निवेश प्राप्ति के मामले में भारत विश्व में पांचवें स्थान पर पहुँच गया था। भारत को 2022 में एआई स्टार्टअप्स में कुल 3.4 अरब डालर का निवेश प्राप्त हुआ है। भारत ने इस प्रकार एआई स्टार्टअप्स में निवेश प्राप्तकर्ता देशों में पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा और आष्ट्रेलिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और इजरायल ही भारत से आगे है। अपनी तकनीकी प्रतिमा व उच्च उद्यमिता–जन्द पहल के आधार पर भारत इस क्षेत्र में तीसरा स्थान भी आसानी से प्राप्त कर सकता है।

युवा प्रतिभाओं की अपूर्व रूचि, पहल व उद्यमशीलता के रूझानों को देखते हुए भारत में प्रति तिमाही वेन्चर केपिटल फण्डिंग में वृद्धि की अपेक्षा की जा रही है। तालिका क्र. 1 में दिये विगत दशक के सूचकांकों की 2022 के सूचकांको की तुलना से विदित होता है कि

यदि भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्यगिकी का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है) तो वर्ष 2035 तक 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी जनित गतिविधियाँ भारत की आर्थिक संवृद्धि में लगभग 3–4 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान दे सकती है।

– डॉ. जया शर्मा

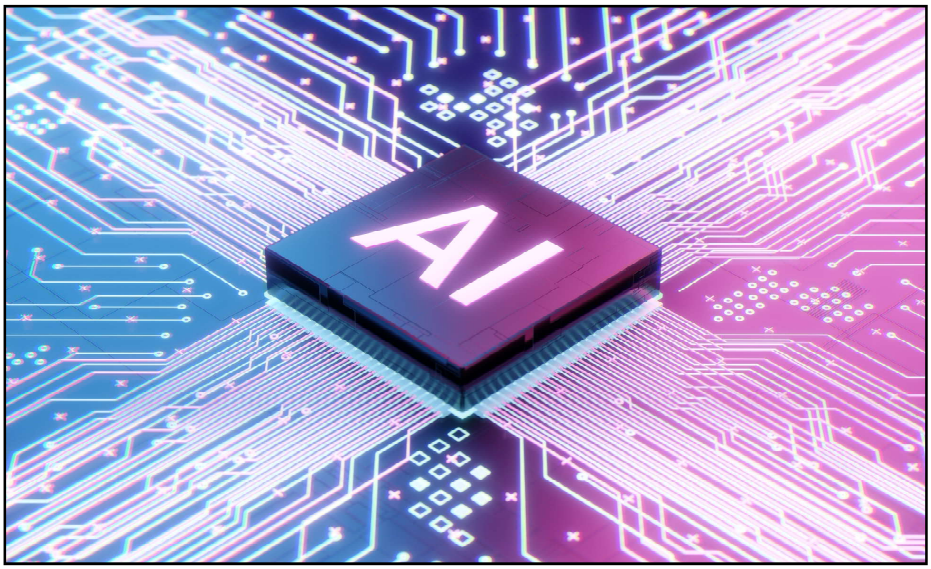

तालिका–1: एआई में विगत दशक के एवं 2022 के निवेश में भारत का स्थान

देश	*कुल निवेश* (2013 से 2022 तक, अरब डालर)	*देश*	*कुल निवेश* (2022–23, अरब डालर)
यूनाइटेड स्टेटस	248.9	यूनाइटेड स्टेटस	47–36
चीन	95.11	चीन	13.41
यूनाइटेड किंगडम	18.24	यूनाइटेड किंगडम	4.37
ईजराइयल	10.83	ईजराइयल	3.24
कनाडा	8.83	भारत	3.24
भारत	7.73	साउथ कोरिया	3.10
जर्मनी	6.99	जर्मनी	2.35
फ्रांस	6.59	कनाडा	1.83
साउथ कोरिया	5.57	फ्रांस	1.77
सिंगापुर	4.72	अर्जेटिना	1.52
जापान	3.99	आस्ट्रेलिया	1.35
होंग कोंग	3.10	सिंगापुर	1.13
स्विट्जरलैण्ड	3.04	स्विट्जरलैण्ड	1.04
आस्ट्रेलिया	3.04	जापान	0.72
स्पेन	1.81	फिनलैण्ड	0.61

स्रोत– स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय का एआई पर सर्वेक्षण

2013 और 2022 के बीच एआई मे संचयी निवेश के मामले में छठा प्रमुख देश था। इन दस वर्षों में देश की एआई कम्पनियों का 7.73 अरब डालर का वित्त पोषण हुआ है। इसमें से पिछले वर्ष ही 40 प्रतिशत वित्तीयन हुआ है। इस त्वरित वृद्धि से भारत पाँचवें स्थान पर आने में सफल हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष वेंचर केपिटल फण्ड्स के द्वारा वित्त पोषण में वृद्धि के रूझान को देखते हुए भारत में इसमें और तेजी आएगी। और भारत चैथे स्थान पर आ जाएगा। तीसरे स्थान पर इग्लैण्ड के बाद भारत और इजरायल दोनों की चैथे स्थान पर ही हैं।

व्यापक अनुप्रयोग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई प्रौद्योगिकी एक अत्यंत विस्तृत व व्यापक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के कई अभिनव क्षेत्र हैं। यथाः मशीन लर्निंग) डीप लर्निंग) रोबोटिक्स) बिग डेटा एनेलिसिस परिधेय प्रौद्योगिकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यथाः

कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई प्रौद्योगिकी एक अत्यंत विस्तृत व व्यापक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के कई अभिनव क्षेत्र हैं। यथाः मशीन लर्निंग) डीप लर्निंग) रोबोटिक्स) बिग डेटा एनेलिसिस परिधेय प्रौद्योगिकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यथाः ब्लॉकचैन फोटो रिकाग्निशन इत्यादि

ब्लॉकचैन फोटो रिकाग्निशन इत्यादि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी की ही अन्य भी कई उप शाखाएँ हैं। इनका उपयोग मानवीय जीवन को सहज और सरल बनाने की ओर ले जाना है। इसका उपयोग कृषि) रोग निदान) चिकित्सा) अन्तरिक्ष विज्ञान) रक्षा) आन्तरिक सुरक्षा) व्यावसायिक प्रबन्ध) भाषा विज्ञान) आर्थिक नियोजन व प्रबन्ध आदि अनेक क्षेत्रों में किया जाता है।

भारत बन रहा एआई समाधानों का वैश्विक केंद्र

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की राष्ट्रीय रणनीति की विविध प्राथमिकताओं में सर्वाधिक बल इस बात पर दिया गया है कि भारत विश्व की 40 प्रतिशत जनता के लिए कृत्रिम बुद्धिमता का समाधान केन्द्र अर्थात 'गैराज' बने। जैसे एक स्वचालित कार की कमियों का समाधान कारों के गैराज में ही होता है) वैसे ही मानवता की 40 प्रतिशत समस्याओं के लिए भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता का गैराज बने। इसकी पूरी सम्भावना है। विश्व की अनेक बड़ी कम्पनियां इस संबंध में अपने वैश्विक क्षमता केन्द्रो ग्लोबल केपेबिलिटी सेण्टर्स की स्थापना भारत में ही कर रही हैं। विश्व के ऐसे 40 प्रतिशत केन्द्र आज भी भारत में हैं।

नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर 40 प्रतिशत समाधान भारत करे, इस हेतु अत्यन्त महत्वाकांक्षी लक्ष्य व प्राथमिकताएं निर्धारित की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की इस राष्ट्रीय रणनीति में जिन तीन प्रमुखघटकों व पाँच अनुप्रयोग क्षेत्रों पर विशेष बल दिया है। उनमें तीन लक्ष्य निम्न हैं –

तीन प्रमुख लक्ष्य

1. व्यापक मानवीय हित अर्थात 'ग्रेटर गुड' के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सामाजिक विकास और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर होना।
2. विकास के अवसरों की पूर्ति की दृष्टि से आर्थिक क्षेत्र मेंभारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुकूलतम उपयोग करे।
3. विश्व के 40 प्रतिशत लोगों के जीवन के सहजीकरण के लिए 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता का गैराज या कार्यशाला बने।

अनुप्रयोग के पांच प्रमुख क्षेत्र

नीति आयोग द्वारा कृत्रिम

बुद्धिमत्ता के लिए घोषित की गई राष्ट्रीय रणनीति के अंतर्गत चयनित देश में आन्तरिक समस्या समाधान व वैश्विक स्तर पर सघन अनुप्रयोगों के जिन पाँचों क्षेत्रों को चुना है व इस प्रकार हैं –

1. शिक्षा और कौशल क्षेत्र; 2. कृषि क्षेत्र; 3. स्वास्थ्य क्षेत्र; 4. स्मार्ट मोबिलिटी व परिवहन; 5. स्मार्ट सिटी व अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर)।

भारत के तेजी से बढ़ते कदम

स्टेनफॉर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिवेदन के अनुसार भारत में एआई स्टार्टअप्स को 2013 से 2022 कुल डॉलर 7–73 अरब का फंडिंग प्राप्त हुआ। उसमें 3–1 अरब डालर अर्थात लगभग 40 प्रतिशत फंडिंग केवल 2022 में हुई थी। इसी से 2022 में भारत ने पांचवां स्थान प्राप्त किया। 2013 से 9 वर्षों में प्राप्त संचयी निवेश का यह 66–84 प्रतिशत था। यदि 2023 में भी वृद्धि की यही उच्च दर बनी रहती है तो हमारा 2023 का नया निवेश 5–1 अरब डालर व संचयी निवेश 12–9 अरब डालर हो जायेगा। ऐसा होने पर भारत इजरायल व यूके को पीछे छोड़ तीसरे स्थान पर आ सकता है।

भारत में मई 2023 तक चैट जीपीटी जैसे जेनरेटिव एआई के अनुप्रयोग तेजी से बढ़े हैं। भारतीय जेनरेटिव एआई परिदृश्य में मई 2023 तक 60 से अधिक स्टार्टअप थे, जो विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में फैले अपने ग्राहकों को समाधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित थे। इस जेनरेटिव एआई के क्षेत्र में ही मई तक डालर 59 करोड़ से अधिक की फंडिंग आ चुकी है।

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एआई इंडेक्स रिपोर्ट ने यह भी बताया कि बड़े भाषा मॉडल पर काम करने वाले शोधकर्ताओं में से 54 प्रतिशत अमेरिकी संस्थानों से है। लेकिन, पिछले वर्ष में पहली बार, कनाडा, जर्मनी और भारत से शोधकर्ताओं ने बड़े भाषा मॉडल के विकास में योगदान दिया है।

आर्थिक योगदान की प्रचुर सम्भावनाएँ

नीति आयोग का यह मत है कि इस व्यवस्था के माध्यम से विश्व की लगभग उन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है जो विश्व के लगभग 40 प्रतिशत लोगों को कई प्रकार से परेशान करती हैं।

आशावादी आकलनों के अनुसार उपयुक्त तैयारी के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी प्रौद्योगिकी 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 15–25 खरब डालर अर्थात 1–5 से 2–5 ट्रिलियन डॉलर तक का अतिरिक्त मूल्य वर्द्धन करने में सफल सिद्ध हो सकती है। यदि भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्यगिकी का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है) तो वर्ष 2035 तक 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी जनित गतिविधियाँ भारत की आर्थिक संवृद्धि में लगभग 3–4 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान दे सकती है। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बदलता परिदृश्य

हमारे देश के निर्यात परिदृश्य में हाल के वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन आया है। हमारे विदेशी व्यापार के पारंपरिक उत्पादों में निर्यात की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रोद्योगिकी, सेवा क्षेत्रों और मशीनरी उत्पादन में लाभप्रद निर्यात बढ़ रहा है। 1990 के दशक की प्रारम्भ में, चाय, कॉफी और मसालों जैसी खाद्य वस्तुओं का भारत के निर्यात में बड़ा योगदान था फिर उसी कालखंड के अंत तक टेक्सटाइल्स, रत्न और आभूषण और इंजीनियरिंग सामान जैसे विनिर्मित वस्तुओं की ओर एक बड़ा बदलाव आया। प्राथमिक वस्तुओं की हिस्सेदारी 1990 के दशक के प्रारम्भ में 70 प्रतिशत से सापेक्ष घटकर वर्तमान में लगभग 20 प्रतिशत रह गई है, जबकि औद्योगिक विनिर्मित वस्तुओं की हिस्सेदारी 1990 के दशक की शुरुआत में 30 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गई है। इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे उच्च मूल्य वर्धित वस्तुओं की ओर हमारे वैश्विक व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वित्त वर्ष 2023 में हमारा सभी उत्पादों और सेवा क्षेत्र का निर्यात 760 अरब डॉलर को पार करने का अनुमान है।

भविष्य के व्यापार को आकार देने वाले कारकों – प्रौद्योगिकी, भू–राजनीति और वैश्विक अत्यावश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन – के साथ व्यापार परिदृश्य व्रहद रूप से बदल रहा है। विदेशी व्यापार में प्रौद्योगिकी की भूमिका सर्वोपरि है। जैसे–जैसे बदलती प्रौद्योगिकी के साथ व्यापार तेजी से आगे बढ़ा रहा है, वैसे ही हमारे विदेशी व्यापार और निर्यात की प्राथमिकताएं, आवश्यकताएँ, निर्यात के क्षेत्र, आयात में बदलाव और आयातित उत्पादों के विनिर्मित प्रॉडक्ट जैसे कच्चे तेल से भारत में विनिर्मित विभिन्न औद्योगिक, घरेलू और कॉस्मेटिक उत्पादों की मांग बढ़ रही है।

सम्पूर्ण वैश्विक व्यापार में भी बड़ा परिवर्तन आया है। सकल विश्व व्यापार 1950 में 70 अरब डॉलर से बढ़कर 2022 में 28 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। अतीत में, कोयला, तेल, कृषि उत्पाद आदि जैसी प्राथमिक वस्तुओं का विश्व व्यापार में बड़ा हिस्सा था। प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, विनिर्मित वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी वृद्धि हुई है।

भारत का व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात हाल ही में इतनी तीव्रता से बढ़ा है कि उनका अभिवृद्धि का प्रभाव अब सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात के समकक्ष हो रहा है। जबकि उनका आधार अपेक्षाकृत छोटा है, पिछले साल उनमें 21 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, जबकि 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात में वृद्धि 27 बिलियन डॉलर थी। सेवा व्यापार में वैश्विक तेजी है और इस क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। यह वृद्धि लगभग आईटी सेवाओं के निर्यात में वृद्धि जितनी ही महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में वृद्धि संरचनात्मक कारकों जैसे सेवा मूल्य श्रृंखलाओं के पृथक्करण और दूरस्थान (रिमोट एक्सैस) से सेवाएं प्रदान करने की क्षमता के कारण है। इनके पीछे संरचनात्मक और आवर्ती दोनों कारण हैं। भारत के सेवा व्यापार बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने का सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक कारण सेवा मूल्य श्रृंखलाओं में पृथक्करण है और यह विशेषज्ञता, नवाचार और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करता है और व्यापार में संवर्धन करता है।

इन्हीं कारणों से वित्तीय, संचार, कंप्यूटर, तकनीकी, विधिक, विज्ञापन और व्यावसायिक सेवाओं में वैश्विक व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और अब वैश्विक सेवा व्यापार का वैश्विक

निर्यात के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रदर्शन, हमारे सकल घरेलू उत्पाद में महत्वाकांक्षी योगदान के रूप में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करता है। ऐसी आशा है कि दुनिया भर में डिजिटलीकरण विशेषकर सेवाओं में, पर जोर दिए जाने से निर्यात बहुत तेजी से बढ़ सकता है।

– विनोद जौहरी

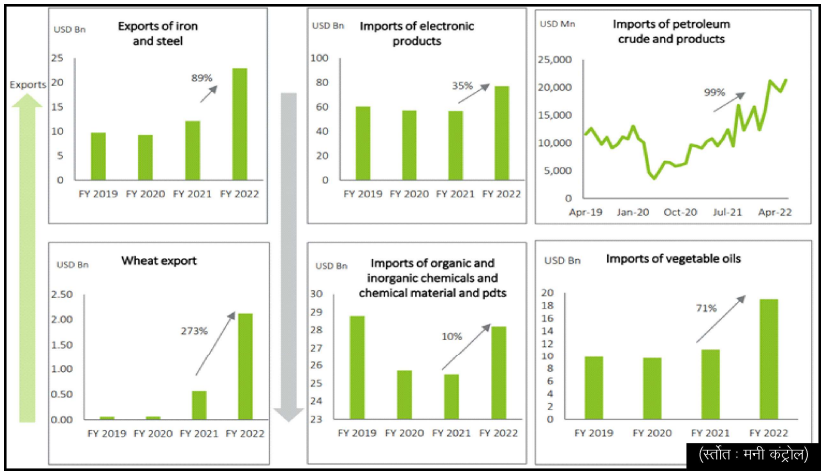

व्यापार में 40 प्रतिशत हिस्सा है। यही सेवाएँ भारत के सेवा निर्यात का मुख्य भाग हैं, कुल निर्यात का 75 प्रतिशत होने के कारण, इनका विस्तार विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक वित्तीय, संचार, कंप्यूटर, तकनीकी, कानूनी, विज्ञापन और व्यावसायिक सेवाओं में भारत की हिस्सेदारी भी 2018 में 6 प्रतिशत से बढ़कर पिछले साल 8 प्रतिशत हो गई है।

भारत में, आयात और निर्यात दोनों की वृद्धि 2017 से बढ़नी शुरू हुई और कोविड के दौरान इसमें और तेजी आई। निर्यात ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे सेवा निर्यात के हिस्से के रूप में शुद्ध प्राप्तियों सहित अप्रत्यक्ष सेवाओं की परिमाण दोगुना हो गया है। इस गति से, तीन वर्षों में सेवा क्षेत्र में अप्रत्यक्ष सेवाओं का निर्यात बढ़कर 265 अरब डॉलर हो जाएगा।

सेवा क्षेत्र में निर्यात के फलस्वरूप अगले तीन वर्षों में लगभग 30 लाख प्रत्यक्ष नए रोजगार सृजित हो सकते हैं, जिनमें से 20 लाख उच्च वेतन योग्य नौकरियाँ होंगी। यदि यह प्रगति सतत रही, तो यह भारत के युवा वर्ग की आकांक्षाओं के साथ–साथ इसके मध्यम वर्ग और शहरों के लिए भी उतना ही परिवर्तनकारी हो सकता है जितना पिछले तीन दशकों में सूचना प्रोद्योगिकी की सेवाओं में रहा है।

इससे यह स्पष्ट हैं कि व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात वर्ष 2020–21 में शून्य से 0.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 7.3 बिलियन डॉलर और इसके बाद बढ़कर वर्ष 22–23 के पहले नौ महीनों में 14.7 बिलियन डॉलर हो गया है।

भारत की केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में कहा था कि सरकार का ध्यान वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए चार आधारभूत प्राथमिकताओं – इनफ्रास्ट्रक्चर अर्थात बुनियादी ढांचे, निवेश, नवाचार और समावेशन पर है। निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं और क्षेत्र–विशिष्ट उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, भारत को उच्च मूल्य वाली वस्तु और सेवा निर्यातक बनने में सक्षम बना रही हैं। सुद्रढ़ घरेलू विनिर्माण परिदृश्य के कारण देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की है। उदाहरण के लिए, भारत का स्मार्टफोन निर्यात, जो 2014 में लगभग न के बराबर था, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं की बढ़ती उपस्थिति के कारण वित्त वर्ष 2023 में 11 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड आंकड़े तक पहुंच गया है। फार्मास्यूटिकल्स, बल्क ड्रग पार्क, सक्रिय फार्मास्युटिकल्स सामग्री आदि के लिए पीएलआई योजनाओं से ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग को भी लाभ हुआ है। हालांकि, वैश्विक सहयोग और महत्वपूर्ण दवाओं के विपणन में वृद्धि के कारण महामारी से संबन्धित वर्षों में निर्यात में भी वृद्धि हुई है। जबकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से विनिर्मित पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात में वृद्धि हुई है।

कुछ विशेष कारकों ने विनिर्माण क्षमताओं को उत्प्रेरित किया है –

1. विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना: 2014 में 'मेक इन भारत' आंदोलन की शुरुआत के बाद से, वार्षिक एफडीआई वृद्धि 2014–2015 में 45 बिलियन डालर से दोगुनी होकर 2021–2022 में 84 बिलियन डालर हो गई है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में सुधार हुआ है यद्यपि अगले वर्ष 2022–23 में वार्षिक निवेश में यह घटकर 71 बिलियन

डॉलर रह गया। सरकार ने रक्षा उत्पादन और दूर संचार में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इसके अलावा, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य उत्पादों जैसे क्षेत्रों में कई पीएलआई योजनाएं घरेलू निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए सशक्त बना रही हैं। भारत लॉजिस्टिक्स में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। लॉजिस्टिक्स लागत को और कम करने और हमारे उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसे सुधार लागू किए गए हैं। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ है, जो 2014 में 54 से बढ़कर 2018 में 44 हो गई और 2023 में आगे बढ़कर 38 हो गई।

2. व्यापार नियमः सरकार ने निर्यात–विशिष्ट नियामक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे निर्यातकों को वैश्विक स्वीकृति और प्रतिष्ठा मिली है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की व्यापार संगत योजनाओं, जैसे निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) और राज्य और केंद्रीय करों और लेवी में छूट (आरओएससीटीएल) का प्रारम्भ लाभप्रद सिद्ध हुआ है। हाल ही में, सरकार ने वैश्विक स्तर पर अपने शिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए त्वक्ज्म्ब् योजना के तहत लागू वस्तुओं की सूची को 8,731 से बढ़ाकर 10,481 कर दिया है। इनमें रसायन, फार्मा और कपड़ा क्षेत्रों के उत्पाद सम्मिलित हैं।

3. परिवर्तित वैश्विक परिदृश्यः विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच 'चीन प्लस वन' रणनीति की बढ़ती भावना उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक परिदृश्य में समाहित कर रही हैं। भारत को नीदरलैंड, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे नए बाजारों से भी मांग बढ़ रही है, जिससे निर्यात में वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त, भारत आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने में सक्रिय रहा है। हाल ही में, भारत ने मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ एफटीए सौदे संपन्न किए हैं, जिससे हमारे निर्यातकों को और प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से 2035 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार 45–50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की आशा है।

4. दक्षिण पूर्व एशिया से मुख्य अधिगमः भारत को वैश्विक व्यापार स्वरूप में स्वयं को और अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि 2022 में वैश्विक निर्यात में देश की हिस्सेदारी केवल 2.1 प्रतिशत थी। सरकार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से रणनीतिक प्रेरणा ले सकती है जो इसका वैश्विक स्तर पर व्यापारिक अवसर का लाभ उठा रहे हैं। कम श्रम लागत, टैरिफ में कमी और व्यापार संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि ने इन देशों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, हांगकांग (एसएआर) चीन, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम लगातार उच्च मूल्य वाले उत्पादों के उत्पादन और निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हांगकांग (एसएआर) चीन के लिए विनिर्मित निर्यात के प्रतिशत के रूप में उच्च–प्रौद्योगिकी निर्यात लगभग 71 प्रतिशत है जबकि भारत के लिए, यह केवल 10 प्रतिशत के आसपास है।

5. नियामक सुधारः भारत ने अपने निर्यात के स्वरूप में सुधार के लिए महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन लागू किए हैं। उदाहरण के लिए, नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) भारत के व्यापार को आवश्यक बढ़ावा देगी। इस नीति की प्रमुख विशेषताओं में हमारी मुद्रा रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, डिजिटल परिवर्तन, बेहतर सहयोग और नीति उन्नयन के लिए एक गतिशील अवधि शामिल है। व्यापार में दक्षता और जवाबदेही को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत मौजूदा कई निर्यात संवर्धन परिषदों की जगह एक एकल व्यापार निकाय स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। इसके अलावा, स्थिर लागत संरचना बनाए रखने के लिए इनपुट टैरिफ में सुधार पर भी विचार किया जा सकता है।

पिछले कई वर्षों से, भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनने का प्रयास कर रहा है। रु. 1.97 ट्रिलियन उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों (पीएलआई) ने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों को जबरदस्त बढ़ावा दिया है। टैरिफ समायोजन से भी निर्यात में आसानी हुई है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में 10.9 बिलियन डॉलर और चालू वित्तीय वर्ष वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में 3.7 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात किया, जबकि आयात पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगता है।

जी20 की अध्यक्षता और भारत की वर्तमान बढ़त का लाभ उठाते हुए, निवेश, व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन पर ध्यान देने के साथ वैश्विक बाजारों तक तीव्रता और महत्वाकांक्षा के साथ पहुंच बनाना अपेक्षित है। निर्यात के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रदर्शन, हमारे सकल घरेलू उत्पाद में महत्वाकांक्षी योगदान के रूप में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करता है। ऐसी आशा है कि दुनिया भर में डिजिटलीकरण विशेषकर सेवाओं में, पर जोर दिए जाने से निर्यात बहुत तेजी से बढ़ सकता है।

(स्रोत – इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, लाइव मिंट, मनी कंट्रोल)

विनोद जौहरीः सेवानिवृत्त अपर आयकर आयुक्त, दिल्ली

भारत-पश्चिमी एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारा

भारतीय संस्कृति का होगा विस्तार

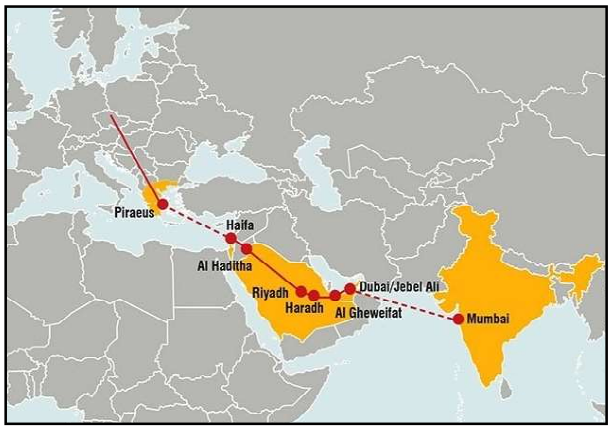

आज विश्व के कई देश विभिन्न प्रकार की राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जबकि भारत न केवल आर्थिक बल्कि राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में भी तुलनात्मक रूप से बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, इसलिए विश्व के कई देश आज अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के हल के लिए भारत की ओर आशाभारी नजरों से देख रहे हैं। किसी भी देश के लिए अपने नागरिकों का अन्य देशों के नागरिकों से सीधा सम्पर्क स्थापित करने के लिए यातायात के साधनों का विकसित अवस्था में होना बहुत जरूरी है। इससे व्यापार के साथ साथ एक दूसरे देश की संस्कृति को समझने एवं अपनाने का मौका मिलता है। हालांकि, आज हवाई यातायात के साधन तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं परंतु यह एक बहुत खर्चीला साधन है इसलिए इसका उपयोग साधारण नागरिक के लिए बहुत मुश्किल है। इस दृष्टि से हाल ही में भारत–पश्चिम एशिया–यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा से इस रूट पर पड़ने वाले समस्त देशों के बीच व्यापार के साथ साथ इन देशों के आम नागरिकों के बीच आपसी सम्पर्क बढ़ने की सम्भावना भी बढ़ गई है।

भारत–पश्चिमी एशिया–यूरोप आर्थिक गलियारा भारत और रोमन साम्राज्य के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग होने का संकेत भी देता है। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे का अस्तित्व आम युग की शुरुआती शताब्दियों में चरम पर था।

– प्रहलाद सबनानी

उक्त आर्थिक गलियारे की घोषणा भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान की है। इससे एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन के साथ ही इन देशों के नागरिकों के बीच आपसी सम्बंध प्रगाढ़ होने की सम्भावना भी व्यक्त की जा रही है। उक्त गलियारा भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से यूरोप तक विस्तारित होगा। उक्त घोषणा के अंतर्गत दो अलग–अलग गलियारे शामिल होंगे। एक, पूर्वी गलियारा जो भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ेगा और दूसरा, उत्तरी गलियारा जो पश्चिम एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें एक रेल लाइन शामिल होगी जिसका निर्माण पूर्ण होने पर यह दक्षिण पूर्व एशिया से भारत होते हुए पश्चिम एशिया तक माल एवं सेवाओं के परिवहन को बढ़ावा देने वाले मौजूदा मल्टी–मॉडल परिवहन मार्ग के पूरक के तौर पर एक विश्वसनीय एवं किफायती सीमा–पार जहाज–से–रेल पारगमन नेटवर्क प्रदान करेगी।

दरअसल चीन ने वर्ष 2016 में वन बेल्ट वन रोड परियोजना (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) प्रारम्भ की थी। इस परियोजना में एशिया, यूरोप एवं अफ़्रीका के बीच भूमि और समुद्र के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस परियोजना से आज लगभग समस्त सदस्य देश परेशान है क्योंकि चीन ने इसके जरिये कई देशों को कर्ज के जाल में फंसा दिया है तथा साथ ही वह अपनी विस्तारवाद की नीति को भी इस योजना के माध्यम से आगे बढ़ा रहा है। इसलिए इटली द्वारा इस परियोजना से बाहर

निकलने पर विचार किया जा रहा है जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है। चीन के खास दोस्त पाकिस्तान में भी चीनी नागरिकों पर हाल ही में हुए हमलों के चलते इस परियोजना के कार्य में बाधा खड़ी हुई है। भारत द्वारा अन्य देशों के सहयोग से प्रारम्भ किए जा रहे आर्थिक गलियारे से चीन द्वारा विभिन्न देशों के सहयोग से प्रारम्भ की गई बीआरआई परियोजना को बहुत अधिक झटका लग सकता है।

भारतीय सनातन संस्कृति तो प्राचीन काल में पूरे विश्व में फैली हुई थी। अमेरिका, लातिनी अमेरिका, मेक्सिको, जर्मनी जिसे यूरोप का आर्यावर्त कहा जाता है। मिस्र से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक, कंपूचिया, लाओस, चीन, जापान आदि देशों में स्थान स्थान पर ऐसे अवशेष एवं साक्षय विद्यमान है जो बताते हैं कि आदिकाल में वहां भारतीय सनातन संस्कृति का ही साम्राज्य था। यह विस्तार मात्र सांस्कृतिक एवं धार्मिक ही नहीं था अपितु, इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था, शासन संचालन व्यवस्था, कला, उद्योग, इत्यादि में भारतीय सनातन संस्कृति का योदगान स्पष्ट दिखाई देता रहा है। मारिशस, आस्ट्रेलिया, फीजी व प्रशांत महासागर के अन्य छोटे छोटे द्वीप, रूस, कोरिया मंगोलिया, इंडोनेशिया, आदि में आज भी कई विस्तृत साक्ष्य मिलते हैं जिससे हमें भारतीय संस्कृति के विश्व संस्कृति होने की एक झलक मिलती है।

उस खंडकाल में विश्व निर्माण अभियान पर निकले हुए भारतीय व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा, सुशासन आदि अनेक उपलब्धियों से सुदूर देशों को लाभान्वित करते थे। वैश्विक स्तर पर जन मानस की भलाई के लिए हमारे पूर्वज उत्साह और साहस के साथ अपनी यात्रा आरंभ करते थे। उन दिनों की जाने वाली यात्राओं के लिए नौकायन और दुर्गम पैदल थल यात्रा ही मात्र साधन थे। इन परिस्थितियों में अधिक सरल उपाय जलयात्रा का ही रह जाता था। विश्व परिवार के साथ सम्पर्क बनाने के लिए प्राचीन काल में भारत ने अपने जलयान के साधनों को अधिकाधिक विकसित किया था। जल मार्गों की जानकारी प्राप्त कर, नौकायन विज्ञान को विकसित करने के लिए घोर प्रयत्न किया गया था। न केवल भारतीय समुद्र तटों पर अच्छे बंदरगाह विकसित किए गए थे बल्कि अन्य देशों में भी सुविधाजनक बंदरगाह बनाए गए थे। इस प्रकार प्राचीन काल में भी भारत से पश्चिमी एशिया के देशों से होते हुए यूरोप एवं अमेरिका तक जलमार्ग विकसित किए गए थे।

केरल, चोल और पांड्य नामक दक्षिण भारत के राज्यों का व्यापार ग्रीस, रोम और चीन के साथ होता था। चंद्रगुप्त मौर्य की जलसेना बहुत विकसित और विस्तृत थी। इसका विवरण चाणक्य कृत – अर्थशास्त्र में दिया गया है। प्रसिद्ध यात्री मेगस्थनीज ने भी अपनी यात्रा विवरण में भारत की समुन्नत जल शक्ति का उल्लेख किया है। इसी प्रकार प्राचीन भारत और प्राचीन अमेरिका में घनिष्ठ सम्बंध था। व्यापारी और धर्म उपदेशक लम्बी जल यात्राएं करके आते जाते थे। इंद्र, गणेश, अग्नि, शिव, एवं अन्य देवी देवता भारत की तरह वहां भी पूजे जाते थे। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय अमेरिका एक प्रकार से भारतवर्ष का एक सांस्कृतिक उपनिवेश था।

भारत–पश्चिमी एशिया–यूरोप आर्थिक गलियारा भारत और रोमन साम्राज्य के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग होने का संकेत भी देता है। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे का अस्तित्व आम युग की शुरुआती शताब्दियों में चरम पर था। सिल्क रूट के नाम से भी एक गलियारा उपलब्ध था। इसी संदर्भ में लेखक विलियम डेलरिम्पल की पुस्तक 'द गोल्डन रोड' इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालती है। विलियम डेलरिम्पल ने बताया कि प्राचीन लाल सागर व्यापार मार्ग, चीन से भूमिगत मार्ग की तुलना में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण रहा है। अब उक्त नया गलियारा उक्त वर्णित पुराने गलियारों से भी अधिक उच्चस्तरीय होगा।

इस प्रकार, नया आर्थिक गलियारा कहीं अपने इतिहास को दोहराने तो नहीं जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इसके माध्यम से भारत एक बार पुनः पूरे विश्व में एक महान आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति बनकर उभरे। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस गलियारे के सम्बंध में कहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा मानवता के लिए बुनियादी आधार है तथा भारत ने हमेशा इस पर जोर दिया है। भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए एक मजबूत नींव रखने जा रहा है। पीजीआईआई (वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए साझेदारी) के माध्यम से, भारत 'ग्लोबल साउथ' देशों में बुनियादी ढांचे के अंतर को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं करता है। भारत का विश्वास है कि कनेक्टिविटी आपसी विश्वास को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 'ग्लोबल साउथ' शब्द का इस्तेमाल एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने इन समस्त देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करने पर जोर दिया है। भारत का स्पष्ट मत है कि कर्ज के बोझ के बजाय वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा देने के साथ–साथ सभी पर्यावरणीय दिशानिर्देशों का पालन करने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। ❑❑

प्रहलाद सबनानीः सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर, म.प्र.।

कृषि से जुड़ी आबादी को मिले विकास का फायदा

जब तक अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के हाथों में कृषि महज महंगाई नियंत्रण के एक औजार के रूप में रहेगा तब तक किसानों को मुश्किलों की उस गहरी दलदल से केवल कोई चमत्कार ही बाहर निकाल सकता है। अपनी इस मौजूदा स्थिति के लिए किस्मत को ही दोष देने वाले किसान शायद ही कभी समझ सकें कि कैसे हकीकत में वे उस दोषपूर्ण आर्थिक प्रारूप के शिकार हैं जो उनके समाज में निचले पायदान पर जैसेदृतैसे गुजर–बसर को यकीनी बनाता है।

खरीफ सीजन की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर नीति आयोग, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग और वाणिज्य मंत्रालय ने अन्य मुद्दों के साथ ही बढ़ती मुद्रास्फीति को चिंता का विषय बताते हुए शंकाएं जताई थीं। बीती 29 अगस्त को राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, जहां वाणिज्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के लिए विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के तहत दायित्वों की बात कहकर आपत्ति जताई, वहीं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की बात सामने रखी। संक्षेप में, ऐसा लगता है कि प्रत्येक संबंधित मंत्रालय को किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में अनुमानित बढ़ोतरी से समस्या थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आखिरकार ख़रीफ़ सीज़न के एमएसपी को 6 से 10 फीसदी के बीच कीमतों में वृद्धि को मंजूरी दे दी। यह देखते हुए कि कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा गणना की गई उत्पादन लागत में भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई है, एमएसपी की घोषणा मुश्किल से उस बढ़ी हुई लागत को पूरा करती है जो किसानों ने फसल उगाने में लगाई।

कृषि के विकास को पर्याप्त आर्थिक पैकेज और प्रोत्साहन दें, जैसे इंडस्ट्री को मिले हैं। उससे सामाजिक–आर्थिक बदलाव सिर्फ शानदार ही नहीं होगा बल्कि आजादी के सौ साल पूर्ण होने तक देश को नवीन ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
– देविंदर शर्मा

इसमें रिज़र्व बैंक की मैक्रो–प्रबंधन नीतियां शामिल करें, जो सुनिश्चित करती है कि मुद्रास्फीति 4 प्लस/माइनस 2 प्रतिशत के निर्धारित मानक के भीतर बनी रहे; किसानों के पास कम से कम अपनी खेती की लागत पूरी करने के तरीके खोजने के लिए अपना संघर्ष जारी रखने के अलावा कम ही विकल्प बचा है। यह मानते हुए कि कुल उपज का केवल 14 प्रतिशत सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा जाता है, देश की बाकी 86 फीसदी फसल बाजारों की दया पर निर्भर रहती है। अगर बाजार किसी भी तरह से किसानों के प्रति उदार होता, तो देश में एमएसपी के लिए कानूनी पवित्रता की मांग को लेकर किसान आंदोलनों न बढ़ते।

एमएसपी जो सरकार साल में दो बार, रबी और खरीफ सीजन के लिए अलग–अलग घोषित करती है, भी हमेशा सवालों के घेरे में रही है। जबकि सीएसीपी उत्पादन लागत और समग्र मांग पूर्ति की स्थिति के लिए अखिल भारतीय भारित औसत के आधार पर कीमतें तय करता है, और वैश्विक कीमतों को भी देखता है, इस पद्धति पर लगातार सवाल उठे हैं। दिलचस्प यह कि हाल में एक समाचारपत्र में प्रकाशित अन्य न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम नौ प्रांतीय सरकारों ने अपने–अपने राज्यों में बढ़ी उत्पादन लागत के लिए विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से कीमतों को संशोधित करने के लिए कहा था।

यह पहली बार नहीं था कि कुछ सरकारों ने बनिस्बत ज्यादा कीमतों की मांग की।

असल में, मेरा मानना है कि अब कुछ दशकों से राज्य सरकारें जो उत्पादन लागत और अनुशंसित कीमत भेजती हैं वे सरकारी वित्त–पोषित कृषि विश्वविद्यालयों से तय की जाती हैं। मसलन, पंजाब ने इस साल धान के लिए 3,234 रुपये कीमत का सुझाव दिया था, जबकि अंतिम अनुशंसा की कई कीमत 2,183 रुपये प्रति क्विंटल थी। केरल ने धान के लिए 3,600 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत का सुझाव दिया था, इसी तरह ओडिशा ने 2,930 रुपये प्रति क्विंटल, छत्तीसगढ़ ने 2,800 रुपये क्विंटल, तमिलनाडु ने 2,300 रुपये क्विंटल और पश्चिम बंगाल ने 2,500 रुपये प्रति क्विंटल। इसी प्रकार, ख़रीफ़ की दूसरी फसलों के लिए, इन प्रांतों ने फसल मूल्य के सुझाव दिए, जो अंततः घोषित की गई कीमत के मुकाबले अधिक थे।

मोटे तौर पर खाद्य वस्तुएं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में भारित औसत का 45 फीसदी हिस्सा होने के चलते सभी का ध्यान खाद्य महंगाई काबू करने पर रहता है। खाद्य वस्तुओं में से किसी की भी कीमत में मामूली तेजी मीडिया में सुर्खी बनती है। इस साल टमाटर की कीमतों का मामला ही लें। जबकि इसकी खुदरा कीमतों ने कुछ समय के लिए ही 200 रुपये प्रति किलोग्राम के आंकड़े को छुआ, समाचार माध्यमों ने मुद्दे को दिन–रात उछाले रखा। पर जब इसके थोक भाव 14 से 10 रुपये किलोग्राम तक गिर गये, मीडिया चुप हो गया। इस मुद्दे को सही संदर्भ में रखने के लिए, कर्नाटक कृषि मूल्य आयोग की एक नवीनतम रिपोर्ट पर नजर डाल कर देखी जाये। उसके मुताबिक, यदि स्वामीनाथन फॉर्मूला (विस्तृत लागत + 50 प्रतिशत लाभ) का प्रयोग करके कीमत की गणना की जाती है, तो टमाटर की फार्म गेट कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम ठहरती है। मान लीजिये कि चार सदस्यों वाले परिवार के लिए टमाटर की औसत जरूरत प्रति सप्ताह लगभग 3.75 किलोग्राम है। यदि वे इसका उपभोग करते हैं तो यह दैनिक वेतन का बमुश्किल 3 फीसदी बैठता है। लेकिन मीडिया जो हंगामा पैदा करता है उससे ऐसा आभास होता है कि जैसे कीमतें बढ़ने से गरीब कामगारों को अपना पेट भरना मुश्किल हो जाता है।

लेकिन जब किसानों के लिए फसल के भाव गिरते हैं उससे किसानों और दैनिक वेतनभोगियों की आजीविका की सुरक्षा का क्या होगा, इस पर कभी बात नहीं होती है। भारत जैसे देश में जहां तकरीबन 50 फीसदी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जब तक किसान की आय का स्तर बेहतर नहीं होगा, बाजार मांग कम ही बनी रहेगी। दरअसल यह एहसास ही नहीं कि किसान भी एक उपभोक्ता है। जब तक उसे बनिस्बत अधिक आय नहीं प्राप्त होती, वह उस वर्ग में शामिल होने में समर्थ नहीं होगा जिससे उपभोग खर्च में वृद्धि होती है। दरअसल, जब भी कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार महंगाई घटाने के लिए आयात करती है या निर्यात में कटौती कर देती है। यानी इरादा किसानों को मिलने वाली कीमतों में वृद्धि नहीं होने देने का है।

निस्संदेह, किसानों को जानबूझकर गरीब रखना 'सबका साथ सबका विकास' फलीभूत करने का तरीका नहीं है। समग्र संवृद्धि हासिल करने के लिए, विकास के फायदे उस बहुसंख्यक आबादी तक पहुंचाने होंगे, जो भारत में कृषि क्षेत्र में संलग्न है। खेती को आर्थिक तौर पर व्यवहार्य और फायदे का काम कैसे बनाया जाए, अमृत काल के दौरान इस पर फोकस करना होगा। कृषि को सुधार जरूरी हैं, लेकिनै पहले एमएसपी को किसानों का कानूनी अधिकार बनाया जाये। यदि देश के 86 फीसदी किसान बाजार की अस्थिरता और अनिश्चितता से दो–चार होते हैं (14 प्रतिशत को एमएसपी मिलता है), तो समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के लिए बहुत कम उम्मीद है। इसके अलावा, विश्व बैंक के अनुसार, भारत की आबादी का लगभग 91 प्रतिशत रोजाना 4 डॉलर यानी प्रतिदिन 280 रुपये से भी कम में गुजर–बसर करता है। वजह यह है कि आर्थिक सुधारों का लक्ष्य अब तक केवल औद्योगिक क्षेत्र ही रहा। यदि तरक्की के सैकिंड इंजन के रूप में कृषि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो 4 डॉलर रोजाना से कम पर जीवनयापन करने वाली आबादी में काफी कमी आएगी। निस्संदेह, अगले पांच वर्ष खेती को दे दीजिए। कृषि के विकास को पर्याप्त आर्थिक पैकेज और प्रोत्साहन दें, जैसे इंडस्ट्री को मिले हैं। उससे सामाजिक–आर्थिक बदलाव सिर्फ शानदार ही नहीं होगा बल्कि आजादी के सौ साल पूर्ण होने तक देश को नवीन ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ❑❑

लेखक कृषि मामलों के जानकार हैं।

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/population-associated-with-agriculture-should-benefit-from-development/

ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण खपत बढ़ाना जरूरी

भारत जैसे कृषि प्रधान देश के आर्थिक विकास में गांवों की अभूतपूर्व हिस्सेदारी होती है। भारत में 70 से 80 प्रतिशत की आबादी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से गांवों में निवास करती है। अतः इतनी बड़ी आबादी का देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। ग्रामीण विकास से ही देश की आर्थिक प्रगति व आत्मनिर्भरता का रास्ता निकलता है।

देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उस औद्योगिक उत्पाद की मांग होना लाजमी होता है। देश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है और गांव वाले गरीब है तो औद्योगिक उत्पादन की भारी मांग कौन करेगा? अतः यदि गांव वालों को व्यय करने के लिए कुछ रकम दे दी जाय तो वे उस रकम को व्यय करके आवश्यक वस्तुओं की मांग करेंगे और उससे उद्योगों के उत्पादों की मांग बढ़ सकेगी। मांग बढ़ने से उद्योगों की स्थापना भी बड़ी मात्रा में हो सकेगी जिससे उद्योगों में रोजगार भी बढ़ सकेगा। ग्रामीण खपत में यदि बढ़ोत्तरी होती है तो उसका सीधा प्रभाव अन्य उद्योगों पर भी पड़ेगा। सरकार ने किसानों को 12000 रुपये वार्षिक दिये तो इससे बीज, खाद, कीटनाशक जैसे उद्योगों की मांग बढी जिससे उद्योगों का विकास हुआ। वहीं वस्त्र, दवाऐं, चमड़ा, बैकिंग व बीमा आदि सहित कई अन्य उद्योगों में बृद्धि व प्रगति हुई क्योंकि किसान ने सरकार से प्राप्त इस रुपये को व्यय किया। उद्योगों पर सरकार जीएसटी व आयकर वसूल करती है तो सरकार की आय भी बढ़ सकी व उद्योगों में बेरोजगारी की समस्या भी थोड़ी बहुत हल हो सकी।

कहावत है कि किसान खुश तो देश खुश। किसान को दिया हुआ धन कभी बेकार नहीं जाता है। अब तो बैंकों के माध्यम से धन दिया जा रहा है जो सीधे सीधे किसान के पास आसानी से बिना किसी भ्रष्टाचार के पंहुच जाता है और पैसे को किसान व्यय करेगा तो उद्योग धन्धों का विकास होगा जिससे सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

सरकार ने इस बात को समझा तथा विकास की गति को तेज करने के लिए किसानों व ग्रामीणों के लिए विभिन्न योजनाऐं भ्रारु की जिसमें किसान सम्मान निधी, विधवाओं, बृद्धों व विकलांगों को पैंशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड की प्रति यूनिट पर पांच किलो खाद्यान्न, गैस, आवास आदि अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सम्पन्न किसानों ने अपने युवा पुत्रों व पुत्रियों को कार, स्कूटर, व मोटर सायकल व मोबाइल आदि खरीदवाये, अपने घरों में बिजली के अनेक उपकरण फ्रिज, पंखों व कूलर लगवाये, घरों में

गांवों में 60 प्रतिशत से अधिक लोग स्थाई निवास करते है। परन्तु अर्थव्यवस्था में ग्रामीण खपत की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत ही है। इसलिए मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जैसी बुनियादी योजनाओं पर अधिक रकम आंबटित की गई। इसी प्रकार कृषि उत्पादों की निर्यात पर भी अधिक ध्यान दिया जा सकता है। वैसे भी चुनौतियों के रहते हुए भी कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ता जा रहा है जिसको और भी बढाने की आवश्यकता है।

खूबसूरत टाईल्स लगवायी। इससे इन सब उद्योगों की बिक्री बढ़ सकी।

गांवों में 60 प्रतिशत से अधिक लोग स्थाई निवास करते है। परन्तु अर्थव्यवस्था में ग्रामीण खपत की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत ही है। इसलिए मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जैसी बुनियादी योजनाओं पर अधिक रकम आंबटित की गई। इसी प्रकार कृषि उत्पादों की निर्यात पर भी अधिक ध्यान दिया जा सकता है। वैसे भी चुनौतियों के रहते हुए भी कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ता जा रहा है जिसको और भी बढाने की आवश्यकता है।

वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए कुल मिला कर 1,35,944 करोड़ रुपयों का आंबटन किया गया था जिसको आगामी बजट में और बढ़ाया जा सकता है। सरकार की इच्छा ग्रामीण खपत को बढ़ावा देने की बन चुकी है। इससे ग्रामीण आय तथा खपत (व्यय) दोनों ही बढ़ सकते है। भारत में अभी भी कृषि मानसून पर ही आधारित है जिससे किसानों की आय अस्थिर हो जाती है जिसका प्रभाव ग्रामीण मांग पर भी पड़ता है। खेतों में काम करने वाले मजदूर भी रियल स्टेट व इन्फ्रास्ट्रैक्चर जैसे रोजगार देने वाले उद्योगों में पलायन कर जाते है जिससे भी किसानों को परेशानी हो जाती है। सरकार भी खाद्य सुरक्षा से जुड़े चावल, गेंहूं, दाल व अन्य अनाज की सीमित मात्रा को ही निर्यात की अनुमति दे सकती है। अतः सरकार रोकडी (व्यावसायिक) फसल व मोटे अनाजों पर विशेष कार्यक्रम चला सकती है। फलों, सब्जी, मांस, मछली, ड़ेयरी आदि उत्पादों पर अधिक ध्यान देकर विश्व के खाद्य संकट में भी अवसर देख सकती है।

कृषि निर्यात में वर्ष 2022 के नौ महिनों में विभिन्न फसलों के निर्यात में बृद्धि इस प्रकार हुई थी। प्रोसेस्ड़ आइटम का 20.03 प्रतिशत, कॉफी का 16.80 प्रतिशत, चावल का 16.09 प्रतिशत, अन्य प्रकार के मोटे अनाज का 13.65 प्रतिशत, तिलहन का 12.69 प्रतिशत, चाय का 12.43 प्रतिशत, फल व सब्जी का 9.07 प्रतिशत, समुन्द्री उत्पाद का 2.74 प्रतिशत रहा। इसलिए कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम चलाये जा सकते है। किसानों की आय निर्यात से बढ़ेगी तो ग्रामीण खपत पर भी प्रभाव अवश्य पड़ेगा। उससे गांवों के साथ साथ निकटवर्ती भाहरों के आर्थिक विकास में योगदान मिल सकेगा। कहावत है कि किसान खुश तो देश खुश। अतः किसान को दिया हुआ धन कभी बेकार नहीं जाता है। अब तो बैंकों के माध्यम से धन दिया जा रहा है जो सीधे सीधे किसान के पास आसानी से बिना किसी भ्रष्टाचार के पंहुच जाता है और पैसे को किसान व्यय करेगा तो उद्योग धन्धों का विकास होगा जिससे सम्पूर्ण देश की अर्थ व्यवस्था पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

जल स्रोतों में बढ़ता रासायनिक जहर

भारत में निरंतर बाघ कम हो रहे हैं। इसकी कोई एक वजह नहीं है। मगर बाघों को जान का नया खतरा जंगल के जहरीले जलस्रोत के रूप में सामने आया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बाघ की मौत होने के बाद जांच में मिले तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक इसके पीछे जहरीले पानी की आशंका जता रहे हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, जंगल के कुछ दूषित जलस्रोत ऐसे हैं, जिनमें जहरीले तत्त्व पाए गए हैं, जिनके पीने से किसी भी प्राणी की मौत हो सकती है। जिस बाघ की मौत हुई उसके बिसरा की जांच से पता चला है कि बाघ के शरीर में भारी जहरीली धातुएं थीं, जो उसकी मौत की वजह बनीं। उत्तराखंड के जलस्रोतों में भारी जहरीले तत्त्व कब घुले, यह भी पता नहीं लग पाया है।

सवाल है कि पहाड़ के इन जलस्रोतों में भारी जहरीले तत्त्व कैसे घुलने लगे हैं? यह पहली बार संज्ञान में आया है। इसलिए इस पर गहन जांच जरूरी है।

जिस बाघ की मौत हुई, उसकी उम्र आठ साल थी। अगर उसके शरीर में संक्रमण न हुआ होता तो शायद उसकी गहन जांच भी न कराई जाती। वैज्ञानिकों के अनुसार जलस्रोत में ऐसे जहरीले तत्त्व पाए गए हैं, जिनसे कैंसर होने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा सिर, त्वचा, पेट, आंख से संबंधित समस्याएं इन जलस्रोतों के जहरीले जल से हो सकती हैं। विज्ञान की भाषा में आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, सीसा, मैगनीज, पारा, निकल, यूरेनियम आदि अगर जल में घुले हों, तो इनके लगातार सेवन से त्वचा रोग, कैंसर और पेट, सिर से संबंधित अनेक बीमारियां हो सकती हैं।

पहाड़ों के जल स्रोतों का पानी कृषि और बागवानी के अलावा पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परीक्षण के बाद जिन जलस्रोतों में जहरीले रासायनिक तत्त्व पाए जाएं, वहां का पानी इस्तेमाल न करने की तख्ती लगा कर लोगों को सावधान किया जा सकता है, मगर जंगली और पालतू पशुओं को ऐसे जहरीले पानी से दूर रहने के लिए किस तरह सावधान किया जा सकता है? यह जहरीला जल कृषि और बागवानी के लिए भी इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है। इसलिए वन्य प्रशासन को जंगली और पालतू पशुओं तथा पक्षियों को ऐसे जलस्रोतों से दूर रखने के लिए किस तरह के उपाय करने होंगे, इसे समझना होगा।

समस्या अगर शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए और उसके उपाय पर गहराई से चिंतन हो, तो समस्या का समाधान आसान हो जाता है।
– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

राष्ट्रीय पशु होने के कारण बाघ की सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें सावधानी बरतती हैं। इसलिए बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए गए हैं। ये कानून बाघों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर बाघों को शिकारियों से बचाने के लिए 4 सितंबर, 2006 को 'वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2006' लागू किया गया। अधिनियम में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ तथा अन्य लुप्तप्राय प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्य जीव अपराध नियंत्रण) बनाने का प्रावधान है। 1972 की धारा 38 के अंतर्गत निर्धारित बाघ संरक्षण प्राधिकरण को अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इनमें राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (3) के तहत बाघ संरक्षण को स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिस बाघ की मौत हुई, उसकी वजह बाघ संरक्षण की किसी भी धारा के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि यह सबसे अलग है।

यह समस्या महज बाघों से जुड़ी नहीं है, बल्कि कोई भी प्राणी जहरीले जल के असर से मौत का शिकार हो सकता है। जलस्रोतों का जहरीला होना बहुत बड़ी समस्या है। इस पर गहराई से जांच होनी चाहिए। इससे स्रोत के जहरीला होने के कारणों का पता चल पाएगा और उन कारणों को खत्म करने के लिए कारगर उपाय वन्य जीव सुरक्षा प्रशासन कर पाएगा।

बाघों की सुरक्षा के नजरिए से उत्तराखंड का वातावरण सबसे मुफीद माना जाता है, लेकिन अब वहां भी वैसी हालात नहीं है। हर साल उत्तराखंड के जगलों में विकट आग लगती है, इससे हजारों जानवर और पक्षी मारे जाते हैं। हालांकि बाघ जंगल की इस आग से सुरक्षित रहते हैं। फिर भी उत्तराखंड में बीते दस सालों में 96 बाघों की मौत

पानी का जहरीला होना और उसके असर से इंसान और जीव-जंतुओं का बीमार होना और उनकी मौत की घटनाएं यूं तो सालों से घट रही हैं, लेकिन बाघ की मौत ने इस समस्या को चर्चा में ला दिया।

हुई। वहीं पर मध्य प्रदेश में 244, महाराष्ट्र में 168, कर्नाटक में 138 बाघों की मौत हुई। लेकिन जहरीला पानी पीने से बाघ की मौत से यह आशंका बढ़ी है कि अगर वन्य प्रशासन बाघों को जहरीले जलस्रोतों का पानी पीने से नहीं बचा पाता है, तो समस्या विकट हो सकती है।

जहरीले जलस्रोतों की पहचान से इस प्रदेश में पीने के पानी और कृषि–बागवानी की सिंचाई की समस्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रदेश के करीब बारह हजार जलस्रोत जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों से सूख चुके हैं। यह बात उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की शोध रपट के आधार पर बताई गई है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में करीब 2.6 लाख प्राकृतिक जलस्रोत हैं, इनमें से करीब बारह हजार से ज्यादा सूख चुके हैं और लाखों सूखने के कगार पर हैं। जो जलस्रोत जहरीले हुए हैं, उनके परीक्षणों से पता चला है कि इसकी वजह उद्योगों और मानव जनित प्रदूषण हो सकता है। उत्तराखंड में तराई के जलस्रोत अधिक तेजी से सूख रहे हैं। आधुनिक विकास के कारण छोटी नदियां और चश्मे गंदे नालों में तब्दील होते जा रहे हैं। ऐसे जलस्रोतों में रासायनिक जहरीले तत्त्व बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में राजमार्गों के निर्माण की वजह से जलदोहन तेजी से बढ़ा है। आलम यह है कि जलस्रोत अपने मूलस्वरूप और दिशा खोने लगे हैं। ये धीरे–धीरे कुंओं में तब्दील होते जा रहे हैं। इसलिए अकूत जलदोहन से बढ़ने वाली समस्याओं की गहन जांच होनी चाहिए।

इस समस्या को समग्रता में देखने की जरूरत है, क्योंकि झरने, चश्मे, खार, कुएं और अन्य जल स्रोतों में ही रासायनिक तत्व नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि भूजल स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है। भूजल स्तर लगातार कम होना महज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। भारत के तकरीबन हर भू–भाग में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। नलकूप से पानी निकालना बहुत कठिन हो गया है। फिर, भूजल जहरीला भी हो रहा है। तमाम जंगली और पालतू जानवर और पक्षी जहरीला पानी पीने की वजह से मरते रहे हैं, लेकिन इस तरफ किसी ने गौर नहीं किया। जंगली इलाकों या गांवों की समस्याओं की खबर इसलिए भी नहीं बन पाती, क्योंकि ये दूरदराज में घटने वाली घटनाएं होती हैं, जहां मीडिया शायद कभी–कभार अपनी आंख घुमाकर देख पाता है।

पानी का जहरीला होना और उसके असर से इंसान और जीव–जंतुओं का बीमार होना और उनकी मौत की घटनाएं यूं तो सालों से घट रही हैं, लेकिन बाघ की मौत ने इस समस्या को चर्चा में ला दिया। जाहिर है, अगर बाघ की मौत न हुई होती और पानी की जांच सरकारी विभाग से न होती, तो यह खबर भी दूसरी संवेदनशील खबरों की तरह दम तोड़ चुकी होती। गौरतलब है कि अब उन जलस्रोतों की भी जांच हो जाएगी, जो अभी तक जांच के दायरे में नहीं थे। इससे जल प्रदूषण का असर इंसान और वन्य प्राणियों पर किस तरह पड़ रहा है, यह भी जांच से पता चल जाएगा। समस्या अगर शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए और उसके उपाय पर गहराई से चिंतन हो, तो समस्या का समाधान आसान हो जाता है। ❑❑

उद्यमी रोजगार सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभः सतीश कुमार

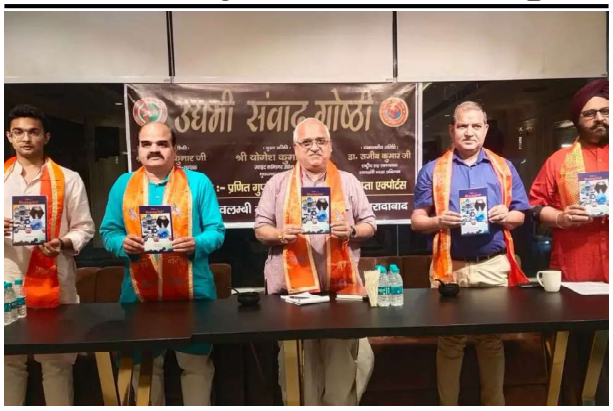

स्वावलंबी भारत अभियान, मुरादाबाद के जिला संयोजक प्रशांत शर्मा ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में चल रहे विभिन्न सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत उद्यमी संवाद गोष्ठी का आयोजन सिविल लाइन स्थित रेस्टोरेंट में किया गया। कार्यक्रम के संयोजक सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट्स के निदेशक प्रणीत अग्रवाल रहे।

गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में मंच के अखिल भारतीय सहसंगठक श्री सतीश कुमार ने उद्यमियों के साथ संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि उद्यमी रोजगार सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। देश को अगर स्वाबलंबी बनाना है, तो उद्यमियों की समस्याओं का समाधान कर व्यापार करने के माहौल को सुगम बनाना होगा। उन्होंने आह्वान किया कि सभी उद्यमी युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए प्रेरित करें एवं उनका मार्गदर्शन करें।

मुख्य अतिथि जिला उद्योग केंद्र के ज्वाइंट डायरेक्टर योगेश कुमार ने उद्यमियों को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। अखिल भारतीय अभियान सह समन्वयक डॉ. राजीव कुमार ने अभियान की प्रस्तावना रखते हुए बताया की अभियान के तीन मुख्य लक्ष्य हैं, पूर्ण रोजगार युक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत एवं समृद्धि युक्त भारत।

कार्यक्रम में उपस्थित उद्यमियों जेपी सिंह, पुनीत आर्य, सतीश अरोड़ा, मयूर भाटिया, करन सिंह, कर्मवीर सिंह, राजेश भारतीय, कुणाल दवे, राज यादव, सनत कोठीवाल, लव वाधवा, रजत ढल, आशीष वाचर, गौरव अग्रवाल को उद्यमिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता सतीश के द्वारा लिखित पुस्तक 'डाटस टू भारत 2047' का विमोचन भी किया गया। संचालन यंग एंटरप्रेन्योर्स सोसाइटी के राष्ट्रीय सचिव जेपी अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांत संयोजक कपिल नारंग, प्रांत समन्वयक कुलदीप सिंह, विभाग संयोजक प्रशांत शर्मा, महानगर संयोजक सीए हिमांशु अग्रवाल आदि रहे।

https://udaipurkiran.in/hindi/entrepreneurs-are-a-very-important-pillar-for-employment-generation-satish/

बेहतर भविष्य को स्वरोजगार अपनाएं युवा

वजीराबाद रोड़ स्थित भीमराव अंबेडकर कालेज में स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत ने युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें वक्ताओं ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सहसंगठक श्री सतीश कुमार ने कहा कि बेहतर भविष्य के लिए युवाओं को स्वरोजगार अपनाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि स्नातक की पढ़ाई पूरी होते ही युवाओं और उनके अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता नौकरी को लेकर होती है। युवा जल्द नौकरी न मिलने से अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। जबकि उद्यमिता, स्वरोजगार और स्टार्टअप जैसे कई विकल्प आज उनके पास है।

उन्होंने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच भी कई स्वरोजगार कार्यक्रम चलाता है। स्वदेशी जागरण मंच का नारा है कि हमारे देश का युवा नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला बनें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कालेज प्राचार्य प्रोफेसर आरएन दुबे ने की। यमुना विहार विभाग संघचालक मुख्य अतिथि अरूण शर्मा ने कहा अब समय आ गया है कि युवा नौकरी के पीछे न भागें, बल्कि अपने हुनर को पहचानकर उसके बल पर अपना कोई काम करें। स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत संयोजक विकास चौधरी, छात्र संगठन के अध यम पुरू कपासिया, कार्यक्रम संचालक मनोज गुप्ता, अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख दीपक, यमुना विहार विभाग संयोजक मंगल मिश्रा आदि कार्यक्रम में मौजूद रहें।

'डॉट्स.....ऑफ़ भारत 2047'

स्वदेशी शोध स्थान के अंतर्गत 'डॉट्स.....ऑफ़ भारत' पुस्तक का प्रकाशन किया गया। यह पुस्तक भारत के 2047 तक के विकास पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक को स्वदेशी जगारण मंच के सह–संगठक श्री सतीश कुमार और डॉ. शिव कुमार, स्वदेशी शोध संस्थान के द्वारा लिखी गयी है। पुस्तक की प्रस्तावना देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. राजीव कुमार (पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग) द्वारा लिखी गई है। पुस्तक में जनसांख्यिकी, अर्थव्यस्था का विकास, सुरक्षा, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, वैश्विक परिदृश्य और सबसे महत्वपूर्ण समाज की भूमिका आदि विषय पर गहन चिंतन करके आने वाले 24–25 वर्ष के लिए विकास और मूल्यों से युक्त भारत बनाने के कुछ रास्ते और संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की गयी है।

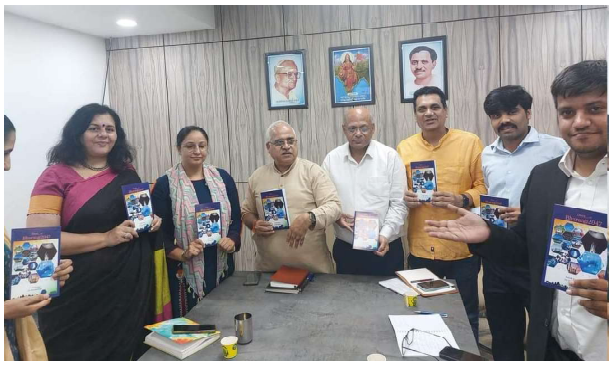

भारत को एक महान देश बनाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी शोध संस्थान लगातार भारत@2047 पर कार्य कर रहा है, इसी कड़ी में यह पहली शोध पुस्तिका प्रकाशित की गयी गई। अब इस पुस्तक के आधार पर आने वाले नवंबर माह में महान अर्थशास्त्री और चिन्तक श्रद्धेय श्री दत्तोपंत ठेंगडी की जन्म जयंती पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन, नई दिल्ली में किया जाएगा। जिसमें इस पुस्तक के विषयों पर चर्चा के लिए देश के कई आर्थिक, सामाजिक महानुभावों की उपस्थिति में 'कैसे भारत को 2047 तक विश्व गुरु और सर्वश्रेष्ठ बनाना है' विषय पर चर्चा होगी।

स्वदेशी जागरण मंच ने युवा उद्यमियों को किया सम्मानित

स्वदेशी जागरण मंच ने गांधी जयंती पर उद्यमिता सम्मान समारोह का आयोजन तुलसी भवन में किया। इसमें 3 युवा उद्यमियों को सफल स्टार्टअप के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विषय प्रवेश स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत प्रचार प्रमुख अमित मिश्रा, संचालन अभियान के

जिला समन्वयक पंकज सिंह और धन्यवाद ज्ञापन मंच की जिला संयोजिका राजपति जी ने किया।

इस दौरान उद्यमियों ने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया। संजीव माथुर ने मशरूम की खेती के बारे में जानकारी दी। 2015 से वे कार्यरत हैं और इस मशरुम से बने विभिन्न व्यंजन जैसे– मशरुम अचार, मशरुम चिप्स, मशरुम पाउडर इत्यादि जैसे सामानों की बिक्री कर रहे है, साथ ही उसे बनाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कार्यक्रम में लगभग 80 लोग उपस्थित थे। मौके पर जेकेएम राजू, राजकुमार साह, केपी चौधरी, बबलूनायक, डॉ अनिल राय, संजीत सिंह, मुकेश ठाकुर, अशोक कुमार, बिकाश सहनी, कंचन सिंह, गुरगुजीत सिंह, अभिषेक बजाज, बबलूनायक, बंदना साहू, दुर्गासैनी, शारदा सिंह इत्यादि सदस्य उपस्थित थे।

https://www.livehindustan.com/jharkhand/jamshedpur/story-swadeshi-jagran-manch-honored-young-entrepreneurs-8796651.html

मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर भारत कर रहा 'सही काम': पुतिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर 'मेक इन इंडिया' पहल की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नीति को बढ़ावा देकर ''सही काम'' कर रहे हैं। व्लादिवोस्तोक में 8वें पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) के पूर्ण सत्र में अपने संबोधन में पुतिन ने रूसी निर्मित ऑटोमोबाइल के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भारत का उदाहरण दिया।

"आप जानते हैं, तब हमारे पास घरेलू स्तर पर निर्मित कारें नहीं थीं, लेकिन अब हमारे पास हैं। यह सच है कि वे मर्सिडीज या ऑडी कारों की तुलना में अधिक मामूली दिखती हैं, जिन्हें हमने 1990 के दशक में बड़ी मात्रा में खरीदा था, लेकिन यह कोई मुद्दा नहीं है।

"मुझे लगता है कि हमें अपने कई साझेदारों का अनुकरण करना चाहिए, उदाहरण के लिए, भारत। वे भारतीय निर्मित वाहनों के निर्माण और उपयोग पर केंद्रित हैं।

उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी 'मेक

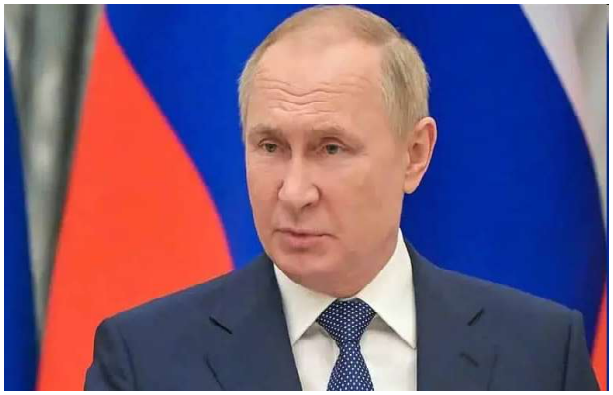

इन इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा देने में सही काम कर रहे हैं। वह सही हैं,'' रूसी नेता ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि रूसी निर्मित ऑटोमोबाइल का उपयोग करना "बिल्कुल ठीक" है।

"इससे हमारे डब्ल्यूटीओ दायित्वों का कोई उल्लंघन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। यह राज्य खरीद से संबंधित होगा. हमें इस संबंध में एक निश्चित श्रृंखला बनानी होगी कि विभिन्न वर्ग के अधिकारी कौन सी कारें चला सकते हैं, ताकि वे घरेलू स्तर पर निर्मित कारों का उपयोग करें।

"आप शायद इन कारों को खरीदना जारी रखने के प्रस्तावों के बारे में जानते हैं। ऐसा करना आसान होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स सुव्यवस्थित है, "पुतिन ने कहा।

जून में मॉस्को में एक आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए पुतिन ने मोदी को "रूस का एक महान मित्र" कहा था और 'मेक इन इंडिया' पहल की प्रशंसा की थी।

"भारत में हमारे मित्र और हमारे बड़े मित्र, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कई साल पहले 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की थी। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर वास्तव में प्रभावशाली प्रभाव पड़ा है। जो अच्छा काम कर रहा है उसका अनुकरण करने से कोई नुकसान नहीं होगा, भले ही इसे बनाने वाले हम नहीं बल्कि हमारे दोस्त हों,'' राष्ट्रपति ने कहा था।

'मेक इन इंडिया' पहल 2014 में प्रधान मंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश में बने उत्पादों को विकसित करने, निर्माण करने और इकट्ठा करने के लिए कंपनियों को बनाना और प्रोत्साहित करना और विनिर्माण में समर्पित निवेश को प्रोत्साहित करना था।

पुतिन और मोदी की आखिरी मुलाकात सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में एक क्षेत्रीय सुरक्षा ब्लॉक शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई थी।

राष्ट्रपति 9–10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए. उनका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया।

https://www.siasat.com/pm-modi-doing-the-right-thing-by-promoting-make-in-india-putin-2693883/

16 साल की उम्र में प्रांजलि अवस्थी ने खड़ी की 100 करोड़ रु. की कंपनी

जिस उम्र में लोग यह सोचते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है। उसी उम्र में प्रांजलि अवस्थी ने लगभग 100 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर दी। प्रांजलि अवस्थी की उम्र अभी 16 साल है। उन्होंने आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर Delv.AI नाम की कंपनी बनाई है। प्रांजलि के लिंकडिन आईडी के अनुसार प्रांजलि की टीम में10 लोग काम कर रहे हैं।

प्रांजलि अवस्थी ने मियामी टेक ईवेंट में बताया कि वो Delv.AI नाम की एक कंपनी चलाती हैं। 16 वर्षीय प्रांजलि के अनुसार कंपनी की नींव जनवरी 2022 में रखी गई थी। इस एआई कंपनी को 3.7 करोड़ रुपये की फंडिंग भी मिल चुकी है। बता दें, मियामी टेक ईवेंट में प्रांजलि ने बताया कि पिता से उन्हें यह काम करने की प्रेरणा मिली है।

प्रांजलि का टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान शुरू से ही रहा है। उन्हें उनके इंजीनियर पिता से भी काफी सहयोग मिला है। प्रांजलि के पिता ने बेटी के रुझान को देखते हुए स्कूल में ही कंप्यूटर साइंस की शिक्षा की तरफ प्रोत्साहित किया। महज 7 साल की उम्र से ही प्रांजलि कोडिंग करने लगी थी। लेकिन उनके सपनों को उड़ान तब मिली जब वो 11 साल की उम्र में फ्लोरिडा में रहने लगी। बता दें, प्राजंलि ने महज 13 साल की उम्र में ही फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप किया था। प्रांजलि की इस यात्रा की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने लुसी गुओगु और डेव फोंटेनोट की स्टार्टअप कंपनी एक्सीलेर्टर का हिस्सा बनी।

प्रांजलि के अनुसार प्रोडक्ट हंट के दौरान Delv.AI की बीटा लांच किया गया। इसी दौरान Delv.AI की खूब चर्चा हुई। यह एक आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली कंपनी है। जोकि डाटा को बाहर निकालने के प्रोसेस को सरल बना देता है। साथ ही उसकी कमियों को दूर करता है। मौजूदा युग डाटा का है। ऐसे में इन कंपनियों का भविष्य मजबूत दिखाई दे रहा है। ❑❑

https://www.livehindustan.com/business/story-pranjali-awasthi-founded-an-ai-company-valuation-rs-100-crore-at-the-age-of-16-8827995.html

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन

Entrepreneurship Encouragement Conferences

सचित्र झलक

रामपुर, उ.प्र.

देहरादून, उत्तराखंड

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश

बदरपुर, दिल्ली

राजनंदगांव, छत्तीसगढ़

मथुरा, ब्रज प्रांत

पलामू, झारखंड

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 अक्टूबर 2023
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन

Entrepreneurship Encouragement Conferences

सचित्र झलक

श्री लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

पटना, बिहार

पश्चिमी विभाग, दिल्ली

काशी

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती